गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

की 107 वीं बैठक

दिनांक : 26–08–2006

समय : 12–00 बजे

स्थान : इण्डिया हैविटेड सेन्टर,
लोधी रोड नई दिल्ली

एक सुन्दर शहर–हमारा संकल्प

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 26-8-2006 की कार्यसूची ।

मद सं0	विषय	पृष्ठ सं0
1-	प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 20-07-06 के कार्यवृत्त की पुष्टि ।	01
2-	प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 20-07-06 के कार्यवृत्त पर अनुपालन आख्या	2-15
3-	गाजियाबाद महायोजना -2021 के अन्तर्गत गाजियाबाद क्षेत्र में नये विकास को सुनियोजित दिशा प्रदान करने हेतु जोनल स्तर के सरकुलेशन / रोड नेटवर्क के अनुमोदन के सम्बन्ध में ।	16-18
4-	दिल्ली मैट्रो का आन्नद विहार से वैशाली योजना तक विस्तार किये जाने के सम्बन्ध में ।	19-21
5-	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित 04 स्थानो पर पुलो के निर्माण के सम्बन्ध में ।	22-28
6-	गाजियाबाद शहर में ट्रांन्सपोर्ट नगर की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण किये जाने के सम्बन्ध में ।	29-33
7-	कौशाम्बी योजना के भूखण्ड सं0-16 पर 2.5 एफ0ए0आर0 अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में ।	34
8-	डा0 आर0एस0जी0 इन्डोजर्मन मैडिकल सेन्टर के मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में ।	35
9-	गाजियाबाद महायोजना 2021 में विशेष अनुमति से अनुमन्य कियाओं/उपयोगों की अनुमति के अन्तर्गत सुन्दरदीप एजुकेशनल सोसायटी ग्राम डासना की भूमि पर निर्मित/ प्रस्तावित इन्जीनियनिंग कालेज के सम्बन्ध में ।	36-38
10-	अन्सल हाउसिंग एण्ड कन्सट्रक्शन लि0 द्वारा विकसित अवन्तिका आवासीय कालोनी में स्थित 45 मीटर चौड़े महायोजना मार्ग की चौड़ाई को संशोधित करने के संबंध में।	39-40
11-	मै0 कालिन्दी ब्राइट स्टील्स एण्ड टयूब्स लि0 को कौशाम्बी में आवंटित भूमि के न्यायायिक विवाद का कोर्ट के बाहर समझौते हेतु ।	41-44
12-	संजयनगर डिस्ट्रिक सेन्टर स्थित होटल भूखण्ड का भू-उपयोग रेस्टोरेन्ट बैंकट हाल कम व्यवसायिक करते हुए इसकी नीलामी किये जाने के संबंध में ।	45
13-	ग्रुप हाउसिंग एवं व्यवसायिक भूखण्डों की नीलामी हेतु पूर्व निर्धारित 6 माह की अवधि को ब्याज सहित तीन वर्ष तक बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में ।	46
14-	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में कार्यरत अभियन्ताओं का वाहन भत्ता बढाये जाने के सम्बन्ध में ।	47
15-	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में कार्यरत वाहन चालकों का धुलाई भत्ता बढाये जाने के सम्बन्ध में ।	48
16-	भवन सं0 1/61 बी कामना वैशाली ई0डब्ल्यू0एस0 के दण्डात्मक ब्याज माफ किये जाने के सम्बन्ध में ।	49
17-	भवन सं0 1/62 बी कामना वैशाली ई0डब्ल्यू0एस0 के दण्डात्मक ब्याज माफ किये जाने के सम्बन्ध में ।	50
18-	अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से ।	

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 26–8–2006 के अतिरिक्त मदों की कार्यसूची ।

मद सं0	विषय	पृष्ठ सं0
18–	इन्दिरापुरम योजना में उपयोग की गयी अनार्जित भूमि के बदले भूमि दिये जाने के सम्बन्ध में ।	51–52
19–	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की वी0आई0पी0 वाहन व्यवस्था के सम्बन्ध मे ।	53
20–	श्री वी0पी0एस0 चौहान प्रभारी निरीक्षक पुलिस गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को भूखण्ड आवंटन के सम्बन्ध में ।	54
21–	प्राधिकरण की अर्जित ग्राम मोरटा व रसूलपुर याकूतपुर की भूमि पर स्थापित शिवा कंक्रीट एवं अन्य इकाइयों की भूमि के सम्बन्ध में ।	55–71
22–	मोदीनगर व मुरादनगर विकास क्षेत्र में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की अवस्थापना निधि से कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में ।	72
23–	220 के0वी0 स स्टेशन के लिये छिजारसी हिण्डन पुल के समीप लगभग 10 एकड भूमि एवं निर्माण व्यय की अदायगी यू0पी0पी0सी0एल0 को किये जाने के सम्बन्ध में ।	73–76

मद संख्या : 1

विषय : प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 20—07—06 के कार्यवृत्त की पुष्टि ।

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 20—07—06 का कार्यवृत्त की प्रति प्राधिकरण बोर्ड के माननीय सदस्यगण को अवलोकनार्थ प्रेषित की गयी थी । इस कार्यवृत्त पर किसी सदस्य से कोई टीका प्राप्त नही हुई है । अतः बोर्ड बैठक दिनांक 20—07—06 के कार्यवृत्त की पुष्टि हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत है ।

2

मद संख्या 2

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनॉक 20–7–2006 की अनुपालन आख्या

मद सं0	विषय	निर्णय	अनुपालन आख्या
1–	प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनॉक 25–5–2006 के कार्यवृत्त की पुष्टि ।	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनॉक 25–5–2006 के कार्यवृत्त की पुष्टि सर्व सम्मति से की गई ।	कार्यवाही वांछित नहीं है ।
2–	निजी पूँजी निवेश के माध्यम से हाईटैक सिटी के विकास हेतु मैसर्स उप्पल चडढा हाईटैक डवलपर्स प्रा0लि0 एवं सनसिटी प्रोजेक्ट्स प्रा0लि0 की कन्सेप्चुअल डी0पी0आर0 के अनुमोदन के सम्बन्ध में ।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त निजी पूँजी निवेश के माध्यम से हाईटैक सिटी के विकास हेतु मैसर्स उप्पल चडढा हाईटैक डवलपर्स प्रा0लि0 एवं सनसिटी प्रोजेक्ट्स प्रा0लि0 की कन्सेप्चुअल डी0पी0आर0 का अनुमोदन किया गया ।	अनुपालन में दोनों विकासकर्ताओं को पत्र निर्गत कर दिये गये है ।
3–	इन्टीग्रेटिड हाऊसिंग योजना के अन्तर्गत मैसर्स क्रासिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0लि0 को जारी लाईसेन्स के क्षेत्रफल में संशोधन के सम्बन्ध में ।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त इन्टीग्रेटिड हाऊसिंग योजना के अन्तर्गत मैसर्स क्रासिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0लि0 को जारी लाईसेंस के क्षेत्रफल के सम्बन्ध में शासन के कार्यालय ज्ञाप 5873/आठ–1–05–34 विविध/03 टी0सी0–1 दिनॉक 12–1–2006 में गठित समिति की संस्तुति के अनुसार 494.37 एकड भूमि के स्थान पर 360.00 एकड भूमि का संशोधित लाईसेंस	प्राधिकरण बोर्ड के निर्णयानुसार संशोधित लाईसेन्स जारी किया जा चुका है ।

3

		जारी किए जाने के प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई ।	
4—	मोदीनगर महायोजना 2001 को वर्ष 2021 हेतु पुनरीक्षित करने के सम्बन्ध में ।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव स्वीकृत किया गया । सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0 प्र0 शासन द्वारा निर्देश दिए गए कि मोदीनगर पुनरीक्षित महायोजना 2021 व्यवहारिक हो एवं छः माह के अन्दर यथा आवश्यक कार्यवाही पूर्ण किए जाने का प्रयास किया जाए।	निर्णयानुपालन में चीफ कोआर्डिनेटर प्लानर एन0सी0आर0 सेल गाजियाबाद को पत्र लिख दिया गया है । सेटेलाईट इमेजरी उपलब्ध कराने हेतु एन0आर0एस0ए0 हैदराबाद को पत्र प्रेषित किया जा चुका है ।
5—	मोदीनगर विकास क्षेत्र के अन्तर्गत प्रस्तावित ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस हाईवे पर 100 एकड़ भूमि आवासीय योजना हेतु अधिग्रहीत किये जाने के सम्बन्ध में ।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त निम्न निर्देशानुसार प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गई :— 1— प्रस्तावित बाई—पास के साथ लगी भूमि का अधिग्रहण किया जाए एवं अग्र भाग प्रस्तावित 8 लेन के लिए मानते हुए भू—अर्जन किया जाए एवं वर्तमान में ग्रीन बैल्ट रखते हुए भूमि को सुरक्षित किया जाए जिससे कि भविष्य में सड़क चौड़ीकरण करते समय इसका उपयोग हो सके । 2— विकास कार्य प्रस्तावित हाईवे को छोडकर ही किए जाएं । 3— प्रस्तावित 100 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के लिए कार्यवाही प्रारम्भ कर ली जाए । 4— यदि आवश्यकता हो तो भू उपयोग भी नियमानुसार	भूमि का अर्जन प्रस्ताव तैयार करने हेतु अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

4

			करा लिया जाए । 5— मोदीनगर महायोजना 2021 में भी तदानुसार उक्त संशोधन समाहित किए जाएं ।	
6—		मोदीनगर में औद्योगिक भू—उपयोग के अन्तर्गत तलपट मानचित्र विकसित किये जाने के सम्बन्ध में ।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त निर्देश दिए गए कि विस्तृत ले आऊट प्लान पुनः आगामी बोर्ड बैठक में भू—स्वामियों के अनुरोध के साथ प्रस्तुत किया जाए । ले आऊट प्लान की स्वीकृति में प्राधिकरण को विभिन्न शुल्क इत्यादि की देयता उद्यमियों की होगी ।	ले—आउट प्लान तैयार किया जा रहा है । उद्यमियों से सुविधायें छोड़ने हेतु सहमति भी मांगी गयी है ।
7—		आर0डी0सी0 योजना में बडे व्यवसायिक भूखण्डों से कन्ट्रोल डिजाईन हटाये जाने एवं आरक्षित मूल्य निर्धारण के सम्बन्ध में ।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव स्वीकृत किया गया । पूर्व में विक्रय किए गए भूखण्डों को कन्ट्रोल डिजाईन से मुक्त किए जाने हेतु उपाध्यक्ष को अधिकृत किया गया । भूखण्ड संख्या ए—7 से ए—11 तक के भूखण्डों को जोड़ करने का प्रस्ताव एवं आरक्षण मूल्य इस शर्त के साथ स्वीकृत किया गया कि एफ0ए0आर0 300 एवं कवर्ड एरिया 100 प्रतिशत एवं बेसमेंट में पार्किंग रखा जाए ।	अनुपालन हो रहा है ।
8—		मोहन नगर आर0ओ0बी0 के एप्रोच भाग हेतु उ0प्र0राज्य सेतु निगम द्वारा प्रस्तुत संशोधित आगंणन की स्वीकृति प्रदान करने हेतु प्रस्ताव ।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव स्वीकृत किया गया । बोर्ड द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि सड़क की ढाल को प्रभावित न किया जाए तथा कालौनीवासियों के उपयोगार्थ एक साईड सर्विस	अनुपालन हो रहा है ।

5

		रोड बनाने की अनुमति दे दी जाए ।	
9–	एन0एच0–58 मेरठ रोड तिराहे से एन0एच0–24 बाई पास को जोड़नें वाली 6 लेन सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में ।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त एन0एच0 58 मेरठ रोड तिराहे से एन0एच0 24 बाई पास को जोड़ने वाली 6 लेन सड़क निर्माण के सम्बन्ध में डी0पी0आर0 बनाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई ।	डी0पी0आर0 की कार्यवाही की जा रही है ।
10–	जनपद गाजियाबाद की गाजियाबाद तहसील में हिण्डन नदी के बाये किनारे स्थित नन्दग्राम तटवर्ती बन्ध को चौडा कर मेरठ रोड से जोडने के सम्बन्ध में ।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त निर्णय लिया गया कि प्रकरण आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन के माध्यम से सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को सन्दर्भित किया जाये ।	बोर्ड निर्णय अनुसार प्रकरण शासन को सन्दर्भित कर दिया गया है ।
11–	वैशाली योजना के मन्दाकिनी व अलकनन्दा टावर में मा0 एम0आर0टी0पी0 कमीशन के आदेश दिनॉक 29–11–2005 के अनुपालनार्थ विभिन्न मरम्मत कार्यों के सम्बन्ध में ।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव स्वीकृत किया गया ।	टेण्डर मांग कर कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ।
12–	कौशाम्बी योजना की गंगोत्री व नीलकंठ टावर की समस्त सर्विसेज को कार्यशील करने के सम्बन्ध में ।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव स्वीकृत किया गया ।	टेण्डर की कार्यवाही की जा रही है ।
13–	कौशाम्बी योजना के गंगोत्री टावर व नीलकंठ टावर के क्षेत्र में विकास कार्यों से सम्बन्धित कार्यों के सम्बन्ध में ।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव स्वीकृत किया गया ।	टेण्डर की कार्यवाही की जा रही है ।

6

14–		मोदीनगर एवं मुरादनगर के विकास हेतु अवस्थापना निधि से प्राप्त धनराशि से अधिक व्यय करने के सम्बन्ध में ।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त निर्देश दिए गए कि जनोपयोगी प्रस्तावित विकास कार्यों की सूची एवं धनराशि का विवरण आगामी बैठक में रखा जाए ।	सूची प्राप्त की जा रही है ।
15–		वैशाली योजना के सैक्टर–1 में फायर स्टेशन के निर्माण के सम्बन्ध में ।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त वैशाली के सैक्टर–1 में प्रस्तावित फायर स्टेशन हेतु उपयुक्त न होने के फलस्वरूप अन्य स्थान चिन्हित् करने का निर्णय लिया गया ।	अनुपालन हो रहा है ।
16–		इन्दिरापुरम योजना में उपयोग की गई अनार्जित भूमि के बदले भूमि दिये जाने के सम्बन्ध में ।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि अनार्जित भूमि के बदले भूमि दिए जाने व अन्य इसी तरह के समायोजन के प्राधिकरण में लम्बित प्रकरणों को संकलित कर एक सार्थक निर्णय लिया जाए । इसके लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक प्रकरण स्पष्ट हो कि किन परिस्थितियों में कितनी क्षेत्रफल भूमि दी जानी है, कितने क्षेत्रफल भूमि का अधिग्रहण हुआ है, कितने क्षेत्रफल भूमि पर प्राधिकरण द्वारा बिना अर्जन योजना बना ली गई है । कितने आवंटी इससे प्रभावित है ? उन्हें कहाँ एवं कितनी क्षेत्रफल भूमि दी जानी है, व उस पर उनकी सहमति हो आदि विवरण तैयार कर प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाए ।	समस्त प्रकरणों को एक साथ आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत करने हेतु संकलन किया जा रहा है ।

7

17–	श्री जय प्रकाश त्यागी द्वारा वैशाली योजना के अनअर्जित भूमि के बदले इन्दिरापुरम योजना में भूमि दिये जाने के सम्बन्ध में ।	प्रस्ताव संख्या – 16 के अनुसार कार्यवाही अपेक्षित ।	मद सं0–16 के अनुसार ।
18–	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा प्रयोग की जाने वाली भूमि ग्राम हरसांव के खसरा संख्या 506/2 की अनअर्जित भूमि के बदले 50 प्रतिशत भूमि दिये जाने के सम्बन्ध में ।	प्रस्ताव संख्या – 16 के अनुसार कार्यवाही अपेक्षित ।	मद सं0–16 के अनुसार ।
19–	विशाल सहकारी आवास समिति को भूमि आवंटन के सम्बन्ध में ।	प्रस्ताव संख्या – 16 के अनुसार कार्यवाही की जाए । इस बीच विशाल सहकारी आवास समिति की भूमि के सम्बन्ध में विस्तृत परीक्षण कर प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाए ।	मद सं0–16 के अनुसार ।
20–	मधुबन, बापूधान, इन्दिरापुरम व इन्दिरापुरम प्राईम योजनाओं में प्राप्त आवेदन पत्रों के साथ जमा की गई पंजीकरण राशि की वापिसी के विषय में ।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव स्वीकृत किया गया । बोर्ड द्वारा निम्नानुसार संज्ञान लिया गया एवं निर्देश दिए गए कि :– (ए) मधुबन, बापूधाम, इन्दिरापुरम व इन्दिरापुरम प्राईम योजनाओं के लिए 1500 एकड़ भू–अर्जन के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय में लगभग 50 मुकदमें दर्ज हैं, जिन पर स्थगन आदेश हैं । (बी) 1500 एकड़ भूमि का अधिग्रहण होने के बाद विकास एवं उस भूमि को	अनुपालन हो रहा है ।

8

			उपयोग करने में कई वर्ष लगेगें । (सी) आवास विकास परिषद एवं कुछ विकास प्राधिकरणों द्वारा अधिक भूमि अधिग्रहीत कर ली जाती है जिससे न केवल प्राधिकरण के धनराशि ब्लाक होती है अपितु किसानों से ली गई भूमि का उपयोग वर्षों नहीं हो पाता है । (डी) वर्तमान में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के पास लगभग 1500 एकड़ भूमि आवासीय योजनाओं हेतु होगी इसलिए विशेष परिस्थितियों को छोड़कर उपलब्ध भूमि का उपयोग करने के उपरान्त ही प्राधिकरण की नई आवासीय योजनाओं हेतु भूमि का अधिग्रहण किया जाना उचित होगा ।	
21–		उत्तर प्रदेश विधान सभा/विधान परिषद सदस्यों को प्राधिकरण की योजनाओं में भूखण्ड आरक्षित करने के सम्बन्ध में ।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव स्वीकृत किया गया । बोर्ड के संज्ञान में यह भी लाया गया कि मा0 विधान सभा / विधान परिषद के सदस्यों को अब तक लम्बित 154 आवेदकों को उपलब्ध 163 भूखण्डों में से नम्बर विशेष का आवंटन कर दिया गया है । बोर्ड द्वारा इस सम्बन्ध में निम्न निर्देश दिए गए :– 1– उपरोक्तानुसार किए गए नम्बर विशेष के आवंटन को निरस्त कर दिया जाए । 2– नम्बर विशेष के आवंटन हेतु सचिव, आवास एवं शहरी	शासन को पत्र भेजा जा चुका है । निर्देशानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

9

		नियोजन से अनुरोध किया जाए कि वह मा0 अध्यक्ष, विधान सभा के माध्यम से विधान परिषद एवं विधान सभा के मा0 सदस्यों में से एक समिति गठित कर दे जिससे कि उनकी उपस्थिति में पारदर्शी व्यवस्था के अधीन नम्बर विशेष के भूखण्डों का आवंटन सुनिश्चित कर लिया जाए ।	
22–	केन्द्रीय कर्मचारियों को आवंटित भवनों के सम्बन्ध में बोर्ड निर्णय दिनॉक 9–9–2005 के कम में देय राशि जमा कराने हेतु समय अवधि बढाये जाने के सम्बन्ध में ।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त बोर्ड द्वारा निम्नानुसार प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गई– 1– बोर्ड द्वारा दिनॉक 31 अक्टूबर, 2006 तक देय धनराशि जमा किए जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई । 2– किन्तु जिन आवंटियों को यह सुविधा दी जानी है एवं उनके द्वारा 15–3–2006 तक देय धनराशि जमा नहीं की गई है तो उनसे 15–3–2006 से जमा करने की तिथि तक का साधारण ब्याज भी लिया जाए । 3– वह आवंटी जो उपरोक्तानुसार दिनॉक 31 अक्टूबर, 2006 तक देय धनराशि जमा करने की सुविधा नहीं लेना चाहते हैं एवं वह धनराशि भी जमा नहीं कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में उन्हें आवंटन निरस्तीकरण का नोटिस देते हुए निरस्तीकरण की कार्यवाही की जाए ।	बोर्ड निर्णय अनुसार कार्यवाही की जा रही है ।

10

23–		केन्द्रीय कर्मचारियों को लाजपतनगर में आवंटित भवनों के सम्बन्ध में आवंटियों के पत्र दिनॉक 13–1–2006 के सम्बन्ध में उपाध्यक्ष महोदय के आदेश दिनॉक 16–1–2006 के कम में बोर्ड बैठक हेतु प्रस्ताव ।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव स्थगित किया गया ।	कार्यवाही वांछित नहीं है ।
24–		मोदीनगर महायोजना 2001 में विशेष अनुमति से अनुमन्य कियाओं /उपयोगों के अनुमोदन के सम्बन्ध में ।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव स्वीकृत किया गया ।	अनुपालन हो रहा है ।
25–		मै0 कालिन्दी ब्राईट स्टील्स एण्ड टयूब्स लि0 को कौशाम्बी में आवंटित भूमि के न्यायिक विवाद का कोर्ट के बाहर समझौते हेतु ।	प्रस्ताव स्थगित किया गया ।	प्रस्ताव पुनः बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है ।
26–		नीलामी में हुए आवंटित भूखण्डों की अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि बिडदाताओं से जमा कराये जाने के सम्बन्ध में ।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि पहले बिडदाताओं से अगली 25 प्रतिशत देयता की धनराशि 15 दिन के अन्दर जमा करा ली जाए एवं जिन बिडदाताओं द्वारा यह 25 प्रतिशत धनराशि जमा करा दी जाती है, उन बिडदाताओं से अवशेष 50 प्रतिशत धनराशि छः माह से कम अवधि हेतु की गई नीलामी में दो माह का समय ब्याज सहित अतिरिक्त दिए जाने एवं छः माह के उपरान्त आवश्यकतानुसार गुण–दोष के आधार पर ब्याज सहित समय बढाए जाने हेतु उपाध्यक्ष को अधिकृत किया गया । जिन बिडदाताओं	अनुपालन हो रहा है ।

			द्वारा उक्त 25 प्रतिशत देयता धनराशि जमा नहीं की जाती है, उन्हें निरस्तीकरण का नोटिस देकर निरस्तीकरण की कार्यवाही की जाए । विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त बोर्ड इस निर्णय पर भी पहुँचा कि चूँकि प्राधिकरण के पास वर्तमान में पर्याप्त संचित धनराशि उपलब्ध है, अतः भविष्य में की जानी वाली नीलामी हेतु भुगतान विवरण के सम्बन्ध में निम्न व्यवस्था सुनिश्चित की जाए :– सफल बोलीदाता को विकल्प दिया जाए कि शत–प्रतिशत भुगतान दो माह में बिना ब्याज के कर दिया जाए **अथवा** नीलामी छूटने के समय 25 प्रतिशत धनराशि का भुगतान तत्काल एवं अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि का भुगतान 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से तीन वर्ष में करने का विकल्प दिया जाए ।	
27–		पूर्व बोर्ड निर्णय दिनॉक 29–6–2001 के अनुसार श्री सुरेन्द्र कुमार को वैशाली योजना में आरक्षित भूखण्ड जिसकी पूरी धनराशि जमा है, को वैशाली योजना में भूखण्ड उपलब्ध न होने के कारण इन्दिरापुरम योजना में भूखण्ड दिये जाने के सम्बन्ध में ।	बोर्ड को अवगत कराया गया कि इसी तरह के कई अन्य प्रकरण भी हैं, जिन पर निर्णय लिया जाना है । अतः निर्देश दिए गए कि ऐसे सभी लम्बित प्रकरणों को संकलित कर व आरक्षणकर्ताओं से उनकी सहमति लेकर विस्तृत प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष निर्णय लिए जाने हेतु प्रस्तुत किया जाए ।	प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा ।

12

28–	श्री वी0वी0सिंह विश्वेन को आवंटित भूखण्ड संख्या एस0के0–2/197ए इन्दिरापुरम पर आरोपित ब्याज माफ किये जाने के सम्बन्ध में ।	प्रस्ताव स्थगित किया गया ।	कार्यवाही वांछित नहीं है ।
29–	श्री मंगल सेन कोरी, पूर्व विधान परिषद सदस्य, उत्तर प्रदेश को इन्दिरापुरम योजना के अन्तर्गत भवन संख्या ए0के0–1/50 एच0आई0जी0(डी/एस) के सम्बन्ध में देय पैनल ब्याज में छूट हेतु प्रस्ताव ।	प्रस्ताव स्थगित किया गया ।	कार्यवाही वांछित नहीं है ।
30–	श्री एस0सी0वर्मा, ए0डी0जे0 को इन्दिरापुरम आवासीय योजना के अन्तर्गत आवंटित भवन संख्या ए0के0ऋ3/363ए एम0आई0जी0 एफ/एस के सम्बन्ध में देय पेनल ब्याज में छूट हेतु प्रस्ताव ।	प्रस्ताव स्थगित किया गया ।	कार्यवाही वांछित नहीं है ।
31–	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की स्वर्णजयन्तीपुरम योजना की सैक्टर दर पुनरीक्षित करने के सम्बन्ध में ।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव स्वीकृत किया गया ।	अनुपालन हो रहा है ।
32–	नेहरूनगर के भूखण्ड संख्या द्वितीय ई/105 पर उत्तर प्रदेश पुलिस कान्स्टेबिल द्वारा अवैध अध्यासन के कारण मूल आवंटी को कब्जा न दिये जाने के फलस्वरूप इन्दिरापुरम में भूखण्ड आवंटित करने के सम्बन्ध	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त निर्णय लिया गया कि भूखण्ड में अवैध रूप से रह रहे अध्यासी जो कि एक पुलिस कान्स्टेबिल है, के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही हेतु सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग,उ0प्र0 शासन	अनुपालन हो रहा है ।

13

	में ।	के माध्यम से गृह विभाग, उ0 प्र0 शासन को पत्र लिखा जाए । परन्तु आवंटी को विकल्प में दूसरा भूखण्ड दे दिया जाए ।	
33–	प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनॉक 25–5–2006 के कार्यवृत्त पर अनुपालन आख्या ।	बोर्ड बैठक दिनॉक 25–5–2006 की अनुपालन आख्या अवलोकित की गई ।	कार्यवाही वांछित नहीं है ।
34–	लालबाग कालोनी गाजियाबाद में स्थित ग्रीन बैल्ट की भूमि का भू–उपयोग परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में ।	प्रस्ताव स्थगित किया गया ।	कार्यवाही वांछित नहीं है ।
35–	संकल्प संस्था को लीज पर आवंटित भूखण्ड की लीज के नवीनीकरण के सम्बन्ध में ।	प्रस्ताव स्थगित किया गया ।	कार्यवाही वांछित नहीं है ।
36–	गोविन्दपुरम योजना में ए ब्लाक स्थित ब्राईट लैण्ड स्कूल की भूमि के ऊंपर से जा रहे हाईटेंशन लाईन के नीचे पडने वाली भूमि के बदले भूखण्ड से लगी हुई पार्क की भूमि के आवंटन के सम्बन्ध में ।	प्रस्ताव स्थगित किया गया ।	कार्यवाही वांछित नहीं है ।
37–	डा0 आर0एस0जी0 इन्डोजर्मन मैडिकल सैन्टर के मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में ।	प्रस्ताव स्थगित किया गया ।	प्रस्ताव पुनः **बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत** किया जा रहा है ।
38–	राष्ट्रीय राजमार्ग–24 पर डासना की भूमि पर स्थित आई0एम0एस0 इंजीनियरिंग कालेज अध्यात्मिक नगर के मानचित्रों के शमन /स्वीकृति के सम्बन्ध में ।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव शासन को सन्दर्भित कर दिया जाए ।	प्रकरण **शासन को सन्दर्भित** किया जा रहा **है** ।

14

39–		गाजियाबाद महायोजना 2021 में विशेष अनुमति से अनुमन्य कियाओं / उपयोगों की अनुमति के अन्तर्गत सुन्दरदीप एजूकेशनल सोसायटी ग्राम डासना की भूमि पर निर्मित /प्रस्तावित इंजीनियरिंग कालेज के सम्बन्ध में ।	प्रस्ताव स्थगित किया गया ।	प्रस्ताव पुनः बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है ।
40–		गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहीत ग्राम मकनपुर खसरा संख्या 282 परगना लोनी तहसील व जिला गाजियाबाद के विकल्प में जमीन आवंटन करने की मॉग पर विचार के सम्बन्ध में ।	प्रस्ताव संख्या – 16 के अनुसार कार्यवाही अपेक्षित ।	मद सं0–16 के अनुसार ।
41–		भूखण्ड /भवन की पंजीकरण एवं आवंटन नियमावलि में लाटरी द्वारा आवंटन के साथ नीलामी के माध्यम से विकय किये जाने का प्राविधान सम्मिलित किये जाने के विषय में ।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव स्वीकृत किया गया ।	बोर्ड निर्णयानुसार प्रकरण शासन के अनुमोदन हेतु प्रेषित किया जा रहा है ।
42–		वैशाली योजना के सैक्टर–9 राजस्व ग्राम प्रहलादगढी के खसरा नम्बर 179, 180, 170, 171, 172, 173, 18.15 एकड भूमि के सम्बन्ध में ।	प्रस्ताव संख्या – 16 के अनुसार कार्यवाही अपेक्षित ।	मद सं0–16 के अनुसार ।
43–		प्रताप विहार आवासीय योजना के अन्तर्गत 19795 वर्ग मीटर के भूखण्ड को ग्रुप हाऊसिंग हेतु नीलाम किये	विस्तृत विचार विमर्श प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया एवं निर्देश दिए गए कि इस भूखण्ड को वर्तमान	अनुपालन हो रहा है ।

		जाने के सम्बन्ध में ।	भू-उपयोग के अनुसार ही नीलामी द्वारा विक्रय किया जाए ।	
44–		इन्टीग्रेटिड हाऊसिंग स्कीम के अन्तर्गत निजी विकासकर्ताओं को जारी किये गये लाईसेंस के अन्तर्गत प्रस्तुत डी0पी0आर0 के सम्बन्ध में ।	प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त निर्णय लिया गया कि डी0पी0आर0 का परीक्षण प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने से पूर्व पंजीकरण/लाईसेंस हेतु शासन स्तर से गठित समिति द्वारा करा लिया जाए ।	अनुपालन किया जा रहा है ।

मद संख्याः 3

विषयः गाजियाबाद महायोजना 2021 के अन्तर्गत गाजियाबाद क्षेत्र में नये विकास को सुनियोजित दिशा प्रदान करने हेतु जोनल स्तर के सरकुलेशन/ रोड नेटवर्क के अनुमोदन के सम्बन्ध में ।

गाजियाबाद महायोजना 2021 को शासनादेश सं0 2891/ आठ–3–2005–14महा/ 2005 दिनांक 14–7–2005 द्वारा उत्तर प्रदेश शासन की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है तथा वर्तमान में यह महायोजना प्रभावी है । गाजियाबाद में तेजी से हो रहे विकास को दृष्टिगत रखते हुए यह आवश्यक है कि महायोजना 2021 मे नवीन विकासशील क्षेत्रों में विकास को सुनियोजित दिशा प्रदान करने हेतु जोनल स्तर के सरकुलेशन/ रोड नेटवर्क प्लान तैयार किया जायेगा, जिससे कि नये क्षेत्रों में विकास महायोजना की अपेक्षाओं के अनुरूप हो तथा एकीकृत नियोजन सम्भव हो सके । इस प्रकार के सरकुलेशन/ रोड नेटवर्क तैयार किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश सं0 4074/ आठ–3–2006–55विविध/ 2002(आ0ब0)(टी0सी0) दिनांक 17–8–06 द्वारा निर्देश प्रदान किये गये हैं । (छाया प्रति संलग्न)

उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए प्राधिकरण द्वारा निम्न क्षेत्रों के सरकुलेशन/ रोड नेटवर्क तैयार किये गये हैं :–

1– महरौली क्षेत्र

2– डूंडाहेड़ा क्षेत्र

3– ग्राम सदरपुर व उसके निकट का क्षेत्र

4– मेरठ रोड के पश्चिम का क्षेत्र

5– ग्राम अर्थला मे व्यापार कर चैकपोस्ट के निकट का क्षेत्र

6– ग्राम कनावनी तथा उससे लगे भाग का क्षेत्र

उपरोक्त तैयार किये गये सरकुलेशन पैटर्न में 30 मीटर, 24 मीटर तथा 18 मीटर चौड़ी सड़कों का प्राविधान किया गया है तथा यह प्रयास किया गया है कि नवीन प्रस्तावित क्षेत्रों में आईलैण्डनुमा भूमि अवशेष न रह सके । प्रस्तावनाओं में महायोजना के मूल प्रस्तावों को यथावत रखा गया है तथा जोनल स्तर की सुविधाओं का प्राविधान जोनल प्लान तैयार करते समय प्रस्तावित किया जायेगा ।

उपरोक्त 6 नवीन विकसित होनें वाले क्षेत्रों का सरकुलेशन/ रोड नेटवर्क प्लान प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है ।

एस0 के0 गौतम
नगर नियोजक

एस0 सी0 गौड़
नगर नियोजक

संख्या 4074 /आठ–3–2006–55 विविध/2002 (आ.ब.)(टी.सी.)

प्रेषक,

श्री के.एल.मीना,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 लखनऊः दिनांक 17 अगस्त,2006

विषयः महायोजना कियान्वयन हेतु जोनल डेवलपमेन्ट प्लान्स तैयार किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

प्रदेश के अधिकांश विकास क्षेत्रों की महायोजनायें शासन के अनुमोदनोपरान्त लागू की जा चुकी है। उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 के अनुसार महायोजना बनाये जाने के साथ–साथ अथवा उसके तुरन्त पश्चात् धारा–9 के अधीन जोनल डेवलपमेण्ट प्लान्स बनाये जाने की अनिवार्यता है। इस कम में शासनादेश संख्याः 2184/8–3–05–55 विविध/2002, दिनांक 25.5.2006 तथा शासनादेश संख्याः 2184/8–3–4–2006–55विविध/2002, दिनांक 20.2.2006 द्वारा समस्त विकास प्राधिकरणों को जोनल डेवलपमेन्ट प्लान्स शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर तैयार कर शासन को अवगत कराने के निर्देश दिये गये थे। परन्तु पर्याप्त समय बीत जाने के उपरान्त भी अधिकांश विकास प्राधिकरणों द्वारा इस दिशा में प्रभावी कार्यवाही नही गयी है।

2. अतएव मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जोनल डेवलपमेन्ट प्लान्स तैयार किये जाने हेतु कृपया निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें:–

2.1 जिन विकास क्षेत्रों की महायोजनायें तैयार हो गयी हैं, उनके जोनल डेवलपमेन्ट प्लान्स अधिनियम में निर्धारित प्रकियानुसार तैयार कराकर एवं सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त कर उन्हें लागू किया जाये।

2.2 जिन विकास क्षेत्रों की महायोजनायें कालातीत हो चुकी हैं एवं नई महायोजनायें नही बन पाई हैं, उन प्राधिकरणों द्वारा विद्यमान महायोजना को ही आधार मानते हुए जोनल प्लान्स इस प्रकार से बनाए जायें कि नई/पुनरीक्षित महायोजना में उनका समावेशन किया जा सके।

2.3 यदि अपरिहार्य कारणों से जोनल डेवलपमेन्ट प्लान बनने में समय लगने की सम्भावना हो तो उस दशा में नये विकास को सुनियोजित दिशा प्रदान करने हेतु अन्तरिम व्यवस्था के रूप में प्राधिकरणों द्वारा ज़ोनल स्तर का सरकुलेशन/रोड नेटवर्क प्लान तैयार करवा कर उसे प्राधिकरण बोर्ड के अनुमोदनोपरान्त लागू किया जाये तथा जोनल डेवलपमेन्ट प्लान बनाते समय उक्त सरकुलेशन प्लान का समायोजन ज़ोनल डेवलमेन्ट प्लान में किया जाना सुनिश्चित किया जाये। सरकुलेशन प्लान में सड़कों की चौड़ाई महायोजना में प्रस्तावित भू–उपयोग/उपयोगों की सघनता/डेन्सिटी को दृष्टिगत रखते हुये निर्धारित की जाए। इसके

अतिरिक्त महायोजना स्तर के प्रस्तावों को यथावत् रखते हुये, यदि आवश्यक हो, तो **जोनल स्तर की सुविधाओं हेतु मानकों के अनुसार भूमि आरक्षित की जाये।**

3. **मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि** महायोजना मे प्रस्तावित शहरीकरण क्षेत्र **के अन्तर्गत अविकसित क्षेत्र में स्थित किसी भी जोन के** भवन मानचित्र / ले-आउट प्लान तब तक स्वीकृत न किये जायें, जब तक कि उस जोन का सरकुलेशन / रोड नेटवर्क प्लान नियमानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदित न हो जाये।

4. कृपया उपर्युक्त आदेशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,

(के. एल. मीना)
सचिव

संख्याः4074 (1) / आठ-3-2006-55 विविध / 2002 (आ.ब.)(टी.सी.), तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
2. आवास आयुक्त, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, उत्तर प्रदेश।
3. अध्यक्ष, समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
4. अध्यक्ष, नियन्त्रक प्राधिकारी, समस्त विनियमित क्षेत्र, उत्तर प्रदेश।
5. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
6. अधिशासी निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश।
7. आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के समस्त अनुभाग।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शिव जनम चौधरी)
अनु सचिव

मद संख्या : 4

विषय : दिल्ली मेट्रो का आनन्द विहार से वैशाली योजना तक विस्तार किये जाने के सम्बन्ध में ।

दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन के पत्र सं0 डी0एम0आर0सी0/ 20/ 400/ 2003 भाग–2 दिनांक 13–4–06 (छाया प्रति संलग्न) के द्वारा दिल्ली मेट्रो का आनन्द विहार से वैशाली योजना तक विस्तार किये जाने का प्रस्ताव प्रेषित किया गया था । उक्त रूट की लम्बाई लगभग 2.05 किलोमीटर है तथा इसमें दो स्टेशन कौशाम्बी तथा वैशाली पर बनाये जाने की प्रस्तावना है । परियोजना पर भूमि की लागत के अतिरिक्त रू0 167 करोड़ का व्यय अनुमान दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन द्वारा सूचित किया गया है । दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन के प्रस्ताव को प्राधिकरण के पत्र सं0 168/ नियोजन अनुभाग/ 06 दिनांक 29–6–06 द्वारा शासन को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया । शासन द्वारा दिल्ली मेट्रो के गाजियाबाद तक उपरोक्त विस्तार की स्वीकृति शासनादेश सं0 4268/ आठ–1–06–10 जी0डी0ए0/ 06 दिनांक 7–8–06 के द्वारा प्रदान की गयी है । शासन की उपरोक्त स्वीकृति से अवगत कराते हुए दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन को पत्र दिनांक 11–8–06 द्वारा अवगत कराया जा चुका है तथा दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन द्वारा नोएडा प्राधिकरण के साथ किये गये एम0ओ0यू0 के आधार पर ही गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के साथ एम0ओ0यू0 का प्रारूप तैयार किया जा रहा है, जो शीघ्र प्राधिकरण को प्राप्त होना सम्भावित है ।

दिल्ली मेट्रो के आनन्द विहार स्टेशन से वैशाली योजना तक विस्तार तथा उसपर आने वाले व्यय लगभग 167 करोड़ एवं आवश्यक भूमि उपलब्ध कराये जाने की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है ।

एस0 सी0 गौड़
नगर नियोजक

2

प्रेषक,

के.एल. मीना
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
गाजियाबाद।

लखनऊ : दिनाँक 7-अगस्त, 2006

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग—1

विषय :— दिल्ली मेट्रो का शाहदरा से गाजियाबाद तक विस्तार किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त, विषयक अपने पत्र संख्या : 168/नि./06, दिनाँक 29.06.06 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें दिल्ली मेट्रो के गाजियाबाद तक विस्तार किये जाने के संबंध में उत्तर प्रदेश शासन की अनुमति/स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2— अवगत कराना है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि दिल्ली मेट्रो के गाजियाबाद तक विस्तार किये जाने पर आने वाला समस्त व्यय गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा वहन किया जायेगा, अर्थात् राज्य सरकार द्वारा कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जायेगी। इस संबंध में दिल्ली मेट्रो रेल को वैशाली योजना गाजियाबाद तक विस्तार किये जाने एवं गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा डी.एम.आर.सी. (दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन) को दी जाने वाली भूमि तथा अंशपूंजी के रूप में देय धनराशि रू. 167 करोड़ पर उत्तर प्रदेश शासन द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3— इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया तदनुसार अग्रिम कार्यवाही करने एवं कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(के.एल. मीना)
सचिव

21

दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

DELHI METRO RAIL CORPORATION LIMITED

Phones : 2436 5202 04, Direct : 2436 5848, Telefax : 2436 5848

13th April, 2006

…00/2003/Vol-II

…ingh

…b: **Extension of Delhi Metro to Vaishali in UP**

…e Phase-II of Delhi Metro Project has already been sanctioned by the …nt and the construction work for the same has also begun. One of the corridors …n Phase-II project is from Yamuna Bank to Anand Vihar ISBT, which is planned …pleted by the year 2009. We appreciate that the residential and commercial …ent in the areas around Kaushambi and Vaishali localities near UP border is …ce at a very fast pace. Therefore, it is felt that Metro extension from Anand Vihar …aishali would be quite appropriate and can be taken up alongwith Phase-II work …Metro. In this connection, your kind attention is also invited to your letter No …/CE/05 dated 12.7.2005, wherein this extension was also proposed by GDA.

…Ve have carried out a detailed survey for this extension and plans indicating a … alignment are enclosed herewith. The length of this link will be about 2.05 km … stations at Kaushambi and Vaishali respectively. The construction cost for this …n would be about Rs. 167 crores excluding the cost of Rolling Stock and that of …MRC is willing to take up this work alongwith Anand Vihar ISBT Corridor of Phase-…e same pattern as being done for the extension of Delhi Metro to NOIDA i.e. the …wards construction cost to be borne / arranged by GDA as grant and also the land …d for the work to be provided / made available by GDA free of cost, whereas the … Rolling Stock may be borne by DMRC.

… You are requested to consider this proposal and convey your acceptance at the …t so that modalities such as terms and conditions of the agreement and also other …sary approvals may be processed.

With regards.

Imp

Yours sincerely,

(C.B.K. Rao)

…D P Singh,
…Chairman,
…ziabad Development Authority,
…ziabad.

…y to: The Chief Secretary, Sachivalaya, Lucknow, Uttar Pradesh

मद संख्या : 5

विषय : **गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित 04 स्थानों पर पुलों के निर्माण कार्य के सम्बन्ध में ।**

गाजियाबाद नगर में प्रस्तावित चार पुलो ए.एल.टी. सेन्टर से मेरठ को जाने वाली सड़क पर आर.ओ.बी. का निर्माण, मेरठ रोड पर हुंडई शोरूम के पास ग्रेड सेपरेटर का निर्माण, जी.टी. रोड पर ठाकुरद्वारा मंदिर के पास हापुड़ रोड एवं जी.टी. रोड पर ग्रेड सेपरेटर का निर्माण एवं शास्त्री नगर कविनगर इण्डस्ट्रियल एरिया सीमा के बीच डायमन्ड पैलेस के पास रेलवे लाइन के ऊपर आर.ओ.बी. का निर्माण बिना निविदा के उ0प्र0 राज्य सेतु निगम से कराये जाने हेतु शासन के मत से अवगत कराने हेतु अनुरोध किया गया था जिसके सम्बन्ध में सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लोक निर्माण अनुभाग-1 के पत्र संख्या 1676/23-1-2006 दिनांक 04 अगस्त 2006 प्राप्त हुआ है, जो कि बोर्ड के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।

23/8/06

सहायक अभियन्ता
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
गाजियाबाद

23/8/06
जय सिंह
अधिशासी अभियन्ता
गा0 वि0 प्रा0, गाजियाबाद

23

संख्या– 1676 /23–1–2006

प्रेषक,

सुरेश चन्द्रा,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण,
गाजियाबाद।

लोक निर्माण अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांक 04 अगस्त, 2006

विषय–गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित 04 स्थानों पर पुलों के निर्माण कार्य के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्र संख्या–398 / 41ईई–3 / 06, दिनांक 29.06.06 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इस प्रकरण में शासन के मत से पूर्व में ही श्री सतीश कुमार अग्रवाल, प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग के अर्द्ध शा0पत्र संख्या–79 / पी0एस0 लो0 नि0 वि0 / 2004, दिनांक 24.08.05 द्वारा श्री डी0पी0 सिंह, उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को भेजा जा चुका है। इस समबन्ध में पुनः निवेदन है कि गाजियाबाद शहर में प्रस्तावित अपने 15 फ्लाई ओवरों के निर्माण कार्यो में से 2 पुलों का निर्माण कार्य उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लि0 द्वारा कराया जा रहा है। जिसमें से एक कैनिल वर्थ फ्लाई ओवर को समय से पूर्व पूर्ण कर यातायात हेतु खोल दिया गया है।

उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम, उत्तर प्रदेश सरकार का प्रतिष्ठान है एवं वर्ष 1973 से सम्पूर्ण प्रदेश एवं भारत के विभिन्न प्रदेशों में पुलों एवं सड़क के निर्माण कर विकास में सहायक है। उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लि0 द्वारा देश में ही नहीं देश से बाहर पुलों एवं सड़कों के कार्य करायें है। सेतु निगम द्वारा दिल्ली में कई फ्लाई ओवर बनाये गये है जिसमें से एम्स एवं धौलाकुआं के फ्लाई ओवर कदाचित दिल्ली के सभी फ्लाई ओवर से श्रेष्ठ है। उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लि0 से राज्य सरकार के लोक निर्माण विभाग के समस्त पुलों का निर्माण कार्य वर्ष 1973 से लगातार कराया जा रहा है।

II / III IV / PA(-1)

क्रमशः....

1192५८ कार्यवाही हेतु

7/8/06

17/8/06

10-U.O-R

24

अतः आप से अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम को गाजियाबाद में वर्तमान में प्रस्तावित चारों फ्लाई ओवर का निर्माण कार्य आवंटित करने का कष्ट करे। सेतु निगम द्वारा यह निर्माण कार्य निर्धारित अवधि में उच्च गुणवत्ता के साथ पूर्ण करा दिये जायेंगे।

भवदीय,

(सुरेश चन्द्रा)
सचिव।

संख्या– 1676 (1)/23–1–2006–तद्दिनांक।

प्रतिलिपि प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लि0, 16 मदन मोहन मालवीय मार्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
अनुसचिव।

31-U.O-R

25

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
गाजियाबाद।

पत्रांक 514/A/CE/06
दि० 2/8/2006

प्रेषक

सचिव,

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण,

गाजियाबाद

सेवा में,

प्रमुख सचिव

लोक निर्माण विभाग,

उत्तर प्रदेश शासन,

लखनऊ ।

विषय गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित चार फ्लाईओवरों के निर्माण के कार्य के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र संख्या 367 दिनांक 3-6-2006 एवं पत्र संख्या 398 दिनांक 29-6-2006 (प्रतिलिपि संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें । लोक निर्माण विभाग के पत्र संख्या 79 दिनांक 24-8-2005 के क्रम में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित चारों पुलों के टेण्डर निरस्त करके यह कार्य उ०प्र० राज्य सेतु निगम को दिये गये थे परन्तु अपेक्षा की गयी थी कि उ०प्र० राज्य सेतु निगम को बिना टेण्डर कार्य दिये जाने के सम्बन्ध में शासन के मत से अवगत कराने हेतु अनुरोध किया जाये । प्राधिकरण द्वारा उक्त सन्दर्भित पत्रों के माध्यम से शासन से अनुरोध किया गया था परन्तु अभी तक इस सम्बन्ध में शासन से कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है ।

अतः पुनः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त क्रम में शासन के मत से शीघ्र अवगत कराने का कष्ट करें जिससे कि पुलो के निर्माण कार्य प्रारम्भ कराये जा सके ।

संलग्न : उपरोक्तानुसार ।

भवदीय

(आर०सी० मिश्र)

सचिव

पृष्ठांकन 514 To II/CE/06 दिनांक 2/8/06

प्रतिलिपिः सचिव आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उ०प्र० शासन को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रबन्ध निदेशक उ०प्र० राज्य सेतु निगम 16 मदन मोहन मालवीय मार्ग, लखनऊ को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(आर०सी० मिश्र)

सचिव

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
गाजियाबाद

26

पत्रांक..................................... दिनांक..............................

सचिव
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
गाजियाबाद ।

सेवा में,
विशेष सचिव
लोक निर्माण विभाग, अनुभाग 1,
उ0प्र0 शासन विकास भवन, सचिवालय
लखनऊ ।

पत्रांक : 398/4/66-3/06 दिनांक : 29/6/06

विषय: गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित चार स्थानों पर पुलों के निर्माण कार्य के सम्बन्ध में ।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के पत्र संख्या 367/4/इ.इ. 3/06 दिनांक 3.06.06 (प्रति संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें । इस पत्र के माध्यम से उ0प्र0 एवं सेतु निगम को बिना टेन्डर कार्य दिये जाने के सम्बन्ध में [illegible] कराने हेतु [illegible] गया था जो कि अभी तक [illegible]

अतः आपसे पुनः अनुरोध [illegible] के सम्बन्ध में [illegible] अवगत कराने का कष्ट करें । जिससे पुलों के निर्माण हेतु अग्रिम कार्यवाही की जा सके ।

(आर0सी0 मिश्र)
सचिव
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

प्रतिलिपि
प्रबन्धक निदेशक उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम, 16, मदन मोहन मालवीय मार्ग, लखनऊ ।

सचिव
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

गाजियाबाद

दिनांक 200

प्रेषक,

सचिव
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
गाजियाबाद।

सेवा में,

विशेष सचिव
लोक निर्माण विभाग, अनुभाग–1,
उ0प्र0 शासन विकास भवन, सचिवालय
लखनऊ।

पत्रांक 367/पी0बी0ई0.3/06 दिनांक – 3/6/06

विषय–गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित चार स्थानों पर पुलों के निर्माण कार्य के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सचिव गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के पत्र सं0 564/4/2006 दि0 07.01.2006 (प्रति संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें। इस पत्र के माध्यम से प्रबन्धक निदेशक उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम से यह अपेक्षा की गयी थी कि यदि ब्रिज कारपोरेशन को बिना टेन्डर कार्य दिये जाने के सम्बन्ध में कोई शासनादेश है तो उसकी प्रति 15 दिनों में उपलब्ध कराई जाये। परन्तु ऐसा कोई शासनादेश अभी तक उपलब्ध नही कराया गया है। बल्कि प्रबन्ध निदेशक उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम ने पत्र दिनांक 23.01.2006 (प्रति संलग्न) द्वारा अवगत कराया गया है कि सेतु निगम को अन्य विभागों से बिना टेन्डर के एम0ओ0यू0 के आधार पर कार्य दिये गये हैं। चूंकि यह संस्थान प्रदेश सरकार का प्रतिष्ठान है एवं बिना टेन्डर के कार्य दिये जाते हैं। इसलिये अलग से शासनादेश जारी किये जाने की आवश्यकता उचित नही है। इस पत्र की प्रतिलिपि विशेष सचिव लोक निर्माण विभाग–1, उ0प्र0 शासन, विकास भवन, सचिवालय, लखनऊ को पृष्ठांकित की गयी है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त के सन्दर्भ में शासन के मत से अवगत कराने का कष्ट करें।

(आर0सी0 मिश्र)
सचिव
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

पृष्ठांकन 367/पी0बी0ई0.3/06 दिनांक 3/6/06

प्रतिलिपि

1. प्रबन्धक निदेशक उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम, 16, मदन मोहन मालवीय मार्ग, लखनऊ।

(आर0सी0 मिश्र)
सचिव
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

सतीश कुमार अ[redacted]

अ.शा.पत्रांक 79 /लो.नि.-सा.नि.वि./2004

(0522) { कार्या.: 2621154, फैक्स: 2626016, आवास: 2207595 }

प्रमुख सचिव

लोक निर्माण विभाग

उत्तर प्रदेश शासन

विकास भवन, सचिवालय।

लखनऊ: दिनांक 24.08.2005

प्रिय श्री सिंह,

जनपद गाजियाबाद में प्रस्तावित 15 फ्लाई ओवर/आर0ओ0बी0/अण्डरपास का कार्य गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा कराया जाना है, जिनमें से वर्तमान में कैनिल बर्थ फ्लाई ओवर का निर्माण एवं मोहन नगर चौड़ीकरण का निर्माण उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश सरकार का प्रतिष्ठान है एवं वर्ष 1973 से सम्पूर्ण प्रदेश एवं भारत के विभिन्न राज्यों में सड़क एवं सेतुओं का निर्माण कर देश एवं राज्य की प्रगति में सहायक रहा है।

उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड द्वारा देश के अन्य जनपदों में ही नहीं परन्तु देश के बाहर भी महत्वपूर्ण कार्य किया गया है और उक्त कार्यों के लिए उनकी प्रशंसा भी हुई है। दिल्ली में सेतु निगम के द्वारा कई फ्लाई ओवर बनाये गये जिसमें एम्स (AIIMS) तथा धौलाकुंआ स्थित फ्लाई ओवर कदाचित दिल्ली के समस्त फ्लाई ओवर में सर्वश्रेष्ठ हैं। इस सम्बन्ध में माननीय लोक निर्माण मंत्री जी से भी विचार-विमर्श हुआ है और कदाचित आपकी भी उनसे दूरभाष पर वार्ता हुई है। अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित फ्लाई ओवर/आर0ओ0बी0/अण्डरपास का निर्माण कार्य उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम को देने का कष्ट करें। मैं आपको आश्वस्त कराना चाहूंगा कि निगम के स्तर से सभी कार्य समय से पूर्ण करने का यथासम्भव प्रयास किया जायेगा।

शुभकामनाओं सहित,

भवदीय,

(सतीश कुमार अग्रवाल)

श्री डी0पी0 सिंह

उपाध्यक्ष,

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण,

गाजियाबाद।

PA

3078

मद संख्या : 6

विषय : गाजियाबाद में ट्रान्सपोर्ट नगर की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण किए जाने के संबंध में।

दिनांक 13.01.06 को हुई प्राधिकरण की 103वीं बोर्ड बैठक के मद संख्या 12 पर गाजियाबाद में चार स्थानों पर ट्रान्सपोर्ट नगर की स्थापना हेतु भू–अधिग्रहण संबंधी प्रस्ताव रखा गया जिसपर बोर्ड द्वारा जिलाधिकारी गाजियाबाद की अध्यक्षता में समिति गठित की गई जिसमें एस0पी0 (ट्रैफिक), एस0पी0 (सिटी), नगर आयुक्त नगर निगम, अपर जिलाधिकारी (भू0अ0), सचिव गाजियाबाद विकास प्राधिकरण एवं मुख्य वास्तुविद एवं नगर नियोजक गाजियाबाद विकास प्राधिकरण सदस्य नामित किए गए।

दिनांक 21.07.06 को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति की प्राधिकरण सभाकक्ष में बैठक हुई। बैठक में अर्थला गांव की 100 एकड़ भूमि पर ट्रान्सपोर्ट नगर के प्रस्ताव को औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया। समिति द्वारा महायोजना 2021 में दर्शित बुलन्दशहर रोड़, हापुड़ रोड़ एवं मेरठ रोड़ पर प्रस्तावित ट्रान्सपोर्ट नगर की भूमि अधिग्रहण हेतु उपयुक्त पाया गया। गठित समिति की बैठक का कार्यवृत्त संलग्न है।

समिति की आख्या बोर्ड के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

AE

प्रेषक

मुख्य अभियन्ता
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
गाजियाबाद

सेवा में,

1- जिलाधिकारी गजियाबाद
2- नगर आयुक्त नगरनिगम गा०बाद
3- आर०टी०ओ० गाजियाबाद
4- आर०एम० यूपीएसआरटीसी गाजियाबाद ।
5- अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग गाजियाबाद ।
6- उप महाप्रबन्धक यूपीपीसीएल गा०बाद
7- अधीक्षण अभियन्ता उ०प्र० आवास विकास परिषद गा०बाद ।

विषयः दिनांक 21-7-2006 को उपाध्यक्ष गाजियावाद विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में हुयी बैठक के कार्यवृत्त का प्रेषण ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक दिनांक 21-7-2006 को उपाध्यक्ष गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में प्राधिकरण के सभाकक्ष में हुयी बैठक का कार्यवृत्त संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है ।

संलग्नः उपरोक्तानुसार ।

भवदीय

(एस०पी०एस० राघव)
मुख्य अभियन्ता

E.I/06
01/06

पृष्ठांकन 521/VIII/4/PA/CE/06 दिनांक 4/8/06

प्रतिलिपिः उपाध्यक्ष महोदय को सूचनार्थ प्रेषित ।
सचिव महोदय को सूचनार्थ प्रेषित ।
वित्तनियन्त्रक/सीएटीपी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
समस्त अधिशासी अभियन्ताओं को आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

(एस०पी०एस० राघव)
मुख्य अभियन्ता

दिनांक 21-7-2006 को उपाध्यक्ष गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण सभाकक्ष में बैठक हुयी जिसमें निम्न अधिकारियों द्वारा भाग लिया गया ।

1- श्री एस०के०एस० सुन्दरम	जिलाधिकारी गाजियाबाद
2- श्री एस०के० सिंह	अपर जिलाधिकारी नगर गाजियाबाद
3- श्री वीरेश्वर सिंह	अपर जिलाधिकारी प्रशासन गाजियाबाद
4- श्री वी०के० यादव	नगर आयुक्त नगर निगम गाजियाबाद
5- श्री वी०के० सिंह	आर०टी०ओ० गाजियाबाद
6- श्री अशोक कुमार	आर०एम० यूपीएसआरटीसी
7- श्री आर०सी० मिश्र	सचिव गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
8- श्री एस०पी०एस० राघव	मुख्य अभियन्ता गा०वि०प्रा०
9- श्री डी०के० त्यागी	मुख्य अभियन्ता नगर निगम गाजियाबाद
10 श्री ए०के० सिंह	ए०आर०टी०ओ० गाजियाबाद
11 श्री आर०सी० सुखेजा	ए०आर०एम० यूपीएसआरटीसी
12 श्री अनिल कुमार	ए०आर०एम० यूपीएसआरटीसी

बैठक में निम्नलिखित बिन्दुओ पर विचार विमर्श किया गया :-

1- गाजियाबाद महायोजना 2021 में मेरठ रोड, बुलन्दशहर रोड, एवं हापुड रोड पर प्रस्तावित ट्रान्सपोर्ट नगर का स्थल निरीक्षण किया गया जिसमें यह पाया गया कि तीनों ही स्थान ट्रान्सपोर्ट नगर बनाये जाने हेतु उपयुक्त हैं। इन तीनों स्थानो पर ट्रान्सपोर्ट नगर बनाये जाने से ट्रकों के खडा करने में सुविधा होगी एवं वर्तमान में सडकों के किनारे जो ट्रक खडे होते हैं उनके कारण प्रायः जाम की स्थिति बनी रहती है, ट्रान्सपोर्ट नगर बन जाने से इस समस्या का निदान हो सकेगा एवं सडको पर अनावश्यक जाम की स्थिति नही होगी । गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा अर्थला गांव की लगभग 100 एकड भूमि पर ट्रान्सपोर्ट नगर प्रस्तावित किया गया था यह भूमि महायोजना 2021 के अनुसार आवासीय है । इस स्थान पर ट्रान्सपोर्ट नगर बनाया जाना उपयुक्त नहीं होगा ।क्योकि यह भूमि शहर के मध्य में पडती है । जिससे सडको पर जाम की स्थिति बनी रहेगी । इस भूमि का उपयोग महायोजना के अनुसार निजी निर्माताओं द्वारा आवासीय हेतु ही किया जाना उचि होगा । चूंकि गाजियाबाद महायोजना 2021 का अनुमोदन लगभग 6 माह पूर्व ही हुआ है अतः महायोजना में अभी कोई परिवर्तन किया जाना औचित्यपूर्ण नहीं होगा । ट्रान्सपोर्ट नगर प्रायः शहर के बाहर बनाये जाते हैं तथा गाजियाबाद शहर में प्रवेश के लिये मुख्यतः तीन मार्ग :- बुलन्दशहर रोड, हापुड रोड एवं मेरठ रोड ही हैं । अतः महायोजना 2021 में इन सडकों पर प्रस्तावित ट्रान्सपोर्ट नगर की भूमि अधिग्रहण हेतु गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित कर लिया जाये ।

2- क्षेत्रीय प्रबन्धक यूपीएसआरटीसी द्वारा बताया गया कि वर्तमान में मोहन नगर पर यूपीएसआरटीसी का बस स्टेण्ड बना हुआ है तथा एक बस स्टेण्ड साहिबाबाद में बना है । जिला प्रशासन द्वारा अवगत कराया गया कि मोहन नगर पर अधिकतर जाम बना रहता है एवं मोहन नगर बस स्टेण्ड की भूमि पर माननीय

न्यायालय में वाद चल रहा है । इसलिये उचित होगा कि बस स्टेण्ड के लिये अन्य स्थान का चयन कर लिया जाये । महायोजना 2021 में मोहन नगर पर ट्रेड टेक्स चैक पोस्ट के पीछे लोनी को जाने वाली सडक के किनारे 10 एकड भूमि पर बस स्टेण्ड प्रस्तावित किया गया है । क्षेत्रीय प्रबन्धक यूपीएसआरटीसी द्वारा इस स्थान को उपयुक्त बताया गया । अतः इस स्थान पर बस स्टेण्ड बनाने हेतु यूपीएसआरटीसी द्वारा भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही प्रस्तावित की जाये ।

3- गाजियाबाद की वैशाली, कौशाम्बी, इन्दिरापुरम एवं वसुन्धरा आदि कालोनियो मे फायर स्टेशन नही है । इस हेतु विचार विमर्श हुआ कि खोडा कालोनी के निकट जिला प्रशासन की 10 एकड भूमि जो NH-24 एवं हिण्डन कट कैनाल के बीच आती है, को फायर स्टेशन बनाने हेतु गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को हस्तान्तरित कर दिया जाये । जिलाधिकारी द्वारा अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व गाजियाबाद से जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि इस भूमि पर माननीय न्यायालय में वाद चल रहा है एवं यह भूमि विवादग्रस्त है । इसलिये यह प्रस्तावित किया गया कि चरण सिह कालोनी में ग्राम समाज की लगभग 2 एकड भूमि जो खाली है, पर फायर स्टेशन बनाया जा सकता है । यह भूमि NH-24 के किनारे होने के फलस्वरूप फायर स्टेशन हेतु उपयुक्त है । इसका कब्जा नगर निगम गाजियाबाद द्वारा गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को हस्तान्तरित कर दिया जाये ।

4- उप महाप्रबन्धक यूपीपीसीएल द्वारा 220kv क्षमता के सब स्टेशन बनाने के लिये इन्दिरापुरम के आस पास 12 एकड भूमि की मांग की गयी । चूंकि प्राधिकरण के पास वर्तमान में इस स्थान पर भूमि उपलब्ध नही है । अतः इस सम्बन्ध में नगर आयुक्त नगर निगम से अनुरोध किया गया कि Nh-24 के दायी ओर हिण्डन नदी एवं स्लोटर हाउस के मध्य नगर निगम की ग्रीनबैल्ट की खाली भूमि में से 12 एकड भूमि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को उपलब्ध करा दी जाये । यह भूमि हिण्डन नदी के डूब क्षेत्र में आती है अतः इसकी कीमत कम से कम लगाते हुए ही प्राधिकरण को हस्तान्तरित की जाये ।

5- यह भी विचार विमर्श किया गया कि हिण्डन नदी के किनारे नगर निगम की भूमि पर पेड पोधे लगाये जाये इस भूमि पर रिवर फ्रन्ट डवलपमेन्ट करने हेतु नगर निगम द्वारा गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को अनुमति प्रदान कर दी जाये । भूमि का स्वामित्व नगर निगम का ही रहेगा एवं जो विकास कराये जायेगे उसका रख रखाव भी नगर निगम द्वारा किया जायेगा परन्तु विकास पर होने वाला व्यय गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा वहन किया जायेगा ।

6- NH-58 से NH-24 को मिलाने वाली सडक में नगर निगम, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद एवं गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की भूमि आती है। चूंकि यह सडक जन साधारण के लिये बनायी जा रही है एवं मास्टर प्लान सडक बनाये जाने का दायित्व प्राधिकरण एवं नगर निगम का ही है । अतः नगर निगम द्वारा यह भूमि सडक बनाये जाने हेतु प्राधिकरण को उपलब्ध करा दी जाये । इस पर स्वामित्व नगर निगम का ही रहेगा । सडक बनने के बाद सडक का हस्तान्तरण नगर निगम को कर दिया जायेगा सडक हस्तान्तरण के बाद गाजियाबाद विकास प्राधिकरण एवं उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद की भूमि पर

भी स्वामित्व नगर निगम का ही हो जायेगा । इस सडक का रख रखाव नगर निगम द्वारा ही किया जायेगा । इस सडक के मध्य साई उपवन के जो पेड आते है उनकी गिनती करते हुए उन्हें काटने की अनुमति ले ली जाये एवं उतने ही पेड अन्य स्थान पर लगाये जाने हेतु कार्यवाही गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा की जाये ।

33

7- आर०डी०सी० योजना के अन्तर्गत प्राधिकरण द्वारा उच्च स्तरीय विकास कार्य कराये जाने का प्रयास किया जा रहा है । जिसके अन्तर्गत शोपिंग माल बनाये जाने का प्राविधान , पार्किंग के लिये बेसमेन्ट में एवं पेड पौधे एवं लाइटिंग की समुचित व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है । यह क्षेत्र हरा भरा एवं अति सुन्दर बनाये जाने का प्राविधान है । परन्तु इस क्षेत्र में शाम के समय लोगों एवं महिलाओं का निकलना कठिन होता है क्योंकि इस क्षेत्र में शराब की दुकाने हैं जहां अधिकतर लोग बाहर ही बैठकर शराब पीते देखे जाते हैं । अतः इस हेतु जिलाधिकारी से अनुरोध किया गया कि इस क्षेत्र से शराब की दुकाने हटाये जाने पर विचार कर लिया जाये ।

8- कैनिलबर्थ चौराहे पर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा रू० 15-90 करोड व्यय करके फ्लाईओवर का निर्माण कराया गया है । इस पुल के नीचे खाली स्थान पर पेड पौधे एवं घास इत्यादि लगाते हुए कुछ भाग में पार्किंग की व्यवस्था का प्राविधान करते हुए रू० 20-00 लाख के व्यय का टेण्डर किया गया था परन्तु लोक निर्माण विभाग के अभियन्ताओं द्वारा इस कार्य को यह कहकर रूकवा दिया गया कि यह भूमि उनकी है । सन्दर्भित स्थल का निरीक्षण समिति द्वारा किया गया जिसमें निर्णय लिया गया कि लोक निर्माण विभाग द्वारा इस फ्लाईओवर के नीचे कोई निर्माण कार्य न करने दिया जाये एवं गाजियाबाद विकास प्राधिकरण यह सुनिश्चित कर ले कि लोक निर्माण विभाग द्वारा इस फ्लाईओवर के नीचे गोदाम, आफिस एवं स्टोर का निर्माण न करने दिया जाये । लोक निर्माण विभाग से यह भी अपेक्षा की जाती है कि उनके द्वारा इस फ्लाईओवर के नीचे सौन्दर्यीकरण का कार्य कराया जाये ।

(एस०पी०एस० राघव) मुख्य अभियन्ता गा०वि०प्रा०	(आर०सी० मिश्र) सचिव गा०वि०प्रा०	(वी०के० सिंह) आर०टी०ओ० गा०बाद
(अशोक कुमार) आर०एम० यूपीएसआरटीसी	(वी०के० यादव) नगर आयुक्त नगरनिगम	(वीरेश्वर सिंह) एडीएम-ई, गा०बाद
(एस०के० सिंह) एडीएम-सिटी गा०बाद	(एस०के०एस० सुन्दरम) जिलाधिकारी गा०बाद	

(डी०पी० सिंह)
उपाध्यक्ष
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

मद संख्या : 7

विषय : कौशाम्बी योजना के भूखण्ड सं0–16 पर 2.5 एफ0ए0आर0 अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में ।

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा कौशाम्बी योजना के भूखण्ड सं0–16 को व्यवसायिक भूखण्ड के रूप में 30 प्रतिशत भू–आच्छादन तथा 1.5 एफ0ए0आर0 के साथ विक्रय किया गया था। वर्ष 2001 के प्रश्नगत भूखण्ड पर 1.5 एफ0ए0आर0 के अनुरूप भूतल पर व्यवसायिक तथा अनुवर्ती तल पर आवासीय निर्माण स्वीकृत किया गया तथा वर्ष 2001 में ही अतिरिक्त 0.5 एफ0ए0आर0 क्रय योग्य एफ0ए0आर0 के रूप में स्वीकृत करते हुए अनुमति प्रदान की गयी । आवंटी द्वारा विगत कई वर्षो से भूखण्ड पर 2.5 एफ0ए0आर0 की अनुमति दिये जाने का अनुरोध किया जाता रहा है तथा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा भी इस सम्बन्ध में समय–समय पर आख्या चाही गयी है । आवंटी द्वारा पुनः यह अनुरोध किया गया है कि स्थल का भू–उपयोग गाजियाबाद महायोजना 2021 में व्यवसायिक प्रदर्शित होने के फलस्वरूप गाजियाबाद भवन उपविधि 2000 के प्राविधानो के अनुसार 30 प्रतिशत भू–आच्छादन के साथ 2.0 एफ0ए0आर0 अनुमन्य की श्रेणी के अन्तर्गत आता है तथा क्रय योग्य 33 प्रतिशत एफ0ए0आर0 को सम्मलित करते हुए निर्धारित शुल्क जमा करने के उपरान्त 2.66 एफ0ए0आर0 अनुमन्य होने का उल्लेख प्रार्थना पत्र में किया गया है । उल्लेखनीय है कि कौशाम्बी योजना के अन्तर्गत स्थल व सन्निकट व्यवसायिक भाग को गाजियाबाद महायोजना 2021 में व्यवसायिक भू–उपयोग के अन्तर्गत निर्दिष्ट किया गया है तथा पूर्व में प्रश्नगत भूखण्ड के समीपस्थ अन्य व्यवसायिक भूखण्ड पर 2.0 एफ0ए0आर0 के साथ विक्रय किये गये है ।

उपरोक्त स्थिति में समानता तथा गाजियाबाद महायोजना 2021 तथा भवन उपविधि 2000 के प्राविधानों को दृष्टीगत रखते हुए कौशाम्बी योजना में भूखण्ड सं0–16 पर पूर्व में अनुमनय किये गये 2.0 एफ0ए0आर0 के अतिरिक्त 0.5 एफ0ए0आर0 को शासनादेश सं0 1157/9–आ–3–1999–2आ0नी0/89 दिनांक 09.03.1999 में निर्धारित क्रय योग्य एफ0ए0आर0 के शुल्क के साथ अनुमन्य किये जाने का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है ।

एस० के० गौतम
नगर नियोजक

मद सं० 8

विषयः डा० आर०एस०जी० इन्डोजर्मन मैडीकल सेन्टर के मानचित्र के स्वीकृति के सम्बन्ध में।

श्री राकेश गर्ग द्वारा डा० रामशरण गर्ग इण्डोजर्मन एवं डिस्पेन्सरी हेतु ग्राम डासना के खसरा सं० 868 की 12650 वर्ग मी० भूमि पर एक मानचित्र स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया है । प्रस्तुत मानचित्र 30 प्रतिशत ग्राऊण्ड कवरेज तथा 1 एफ०ए०आर० हेतु प्रस्तावित किया गया है ।

महायोजना 2021 में ग्राऊण्ड रियलिटीज को दृष्टीगत रखते हुए एन०एच०–24 मेरठ दिल्ली मार्ग पर काफी बडा क्षेत्र संस्थागत भू–उपयोग के अन्तर्गत प्रदर्शित किया गया है । इससे पूर्व महायोजना–2001 में उक्त क्षेत्र कृषि भू–उपयोग के अन्तर्गत निर्धारित था । एन०एच०–24 व एन०एच०–58 पर कई मेडीकल इन्जीनियरिंग कालेज पूर्व से ही निर्मित है जैसे ही महायोजना 2021 में उक्त क्षेत्रों को संस्थागत भू–उपयोग हेतु दर्शाया गया तभी से ये कालेजों द्वारा 30 प्रतिशत भू–आच्छादन एवं 1 एफ०ए०आर० के मानचित्र स्वीकृति हेतु प्राप्त हो रहे है। प्रकरण बोर्ड दिनांक 13.01.06 में रखा गया था कि ऐसे कालेजों के मानचित्रों को स्वीकृति के समय सभी शुल्क व्यवसायिक दरों से लिये जाने चाहिये । बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि प्रकरण को संदर्भित कर दिया जाये । वर्तमान में शासन से निर्देश प्राप्त हो गये है , जो संलग्न है। जिसमें महायोजना के अन्तर्गत संस्थागत भू–उपयोग हेतु भवन भवन उपविधि में भू–आच्छादन एवं एफ०ए०आर० के अनुसार ही स्वीकृत किये जाने हेतु निर्देश दिये गये है । यहां यह भी अवगत कराना है कि उक्त मैडीकल सेन्टर पूर्णतया दातव्य (चैरीटेबल) संस्था है जिसके प्रमाण स्वरूप आवेदक द्वारा आयकर विभाग से प्राप्त 80–जी० का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः उपरोक्तानुकम में डा० आर०एस०जी० इन्डोजर्मन मैडीकल सेन्टर का मानचित्र भवन उपविधि 2000 के अनुसार ही स्वीकृत किये जाने हेतु प्रस्ताव बोर्ड के अनुमोदनार्थ प्रेषित है ।

एस० के० गौतम
नगर नियोजक

मद संख्या : 9

विषय : गाजियाबाद महायोजना 2021 में विशेष अनुमति से अनुमन्य कियाओं/ उपयोगों की अनुमति के अन्तर्गत सुन्दरदीप एजुकेशनल सोसायटी ग्राम डासना की भूमि पर निर्मित/ प्रस्तावित इन्जीनियरिंग कालेज के सम्बन्ध में ।

शासन द्वारा अनुमोदित जोनिंग रेगुलेसन्स के अन्तर्गत कतिपय कियाओं/ उपयोगों को विशेष अनुमति से अनुमन्य की श्रेणी में रखा गया है, जिसके सम्बन्ध में जोनिंग रेगुलेशन्स के कमांक–4 में विशेष अनुमति से अनुमन्य कियाओं हेतु अपेक्षायें निर्धारित की गयी है । उक्त प्राविधानों के अन्तर्गत प्राधिकरण में उपरोक्त प्रकरण विचाराधीन है । जोनिंग रेगुलेशन के प्राविधानों के अनुसार विशेष समिति की बैठक दिनांक 13–7–06 में उक्त प्रकरण पर विचार किया गया, जिसमें समिति की संस्तुति निम्नानुसार है ।

सुन्दरदीप एजुकेशनल सोसायटी द्वारा श्री महेन्द्र अग्रवाल जनरल सेकेटरी द्वारा शिक्षण संस्थान इन्जीनियरिंग एण्ड फार्मेसी कालेज राष्ट्रीय राजमार्ग–24 पर ग्राम डासना की भूमि (खसरा नं0 2323, 2325, 2335से 2337, 2457, 2458, 2461 से 2480 तक, 2484 से 2486 एवं 2490 से 2492 तक) में स्थित है तथा उक्त भूमि पर इन्जीनियरिंग एण्ड फार्मेसी कालेज से सम्बन्धित अनाधिकृत निर्माण का शमन किया जा चुका है, जिसमें भूखण्ड का क्षेत्रफल 80930.00 वर्गमीटर है तथा 60 मीटर हरितपट्टी का एरिया छोड़ने के उपरान्त कुल भूखण्ड एरिया 74132.00 वर्गमीटर है एवं भू–आच्छादन के अन्तर्गत क्षेत्रफल 5592.02 वर्गमीटर (7.54 प्रतिशत) है ।

शमन किये जा चुके निर्माण से सम्बन्धित भूखण्ड के अन्तर्गत आने वाले खसरा नम्बरों का गाजियाबाद महायोजना 2021 के अनुसार मोटे तौर पर भू–उपयोग ग्राम डासना के खसरा नं0–2323 प्रस्तावित 60 मीटर हरित पट्टी के अन्तर्गत, खसरा नं0 2325 आंशिक भाग 45 मीटर चौड़े मार्ग में व शेष भाग 60 मीटर हरित पट्टी के अन्तर्गत खसरा नं0 2335 आंशिक भाग प्रस्तावित 60 मीटर हरित पट्टी के अन्तर्गत तथा शेष भाग हाईटैक सिटी/ नगरीय विस्तार क्षेत्र के अन्तर्गत, खसरा नं0 2336 से 2337 तक हाईटैक सिटी / नगरीय विस्तार के अन्तर्गत, खसरा नं0 2457 से 2458 तक हाईटैक सिटी / नगरीय विस्तार के अन्तर्गत, खसरा नं0 2461 से 2480 तक हाईटैक सिटी / नगरीय विस्तार के अन्तर्गत, खसरा नं0 2482 से 2486 तक हाईटैक सिटी / नगरीय विस्तार के अन्तर्गत हाईटैक सिटी / नगरीय विस्तार के अन्तर्गत एवं खसरा नं0 2490 से 2492 तक हाईटैक सिटी / नगरीय विस्तार के अन्तर्गत आता है ।

गाजियाबाद महायोजना 2001 के अनुसार उक्त प्रश्नगत क्षेत्र कृषि क्षेत्र के अन्तर्गत पड़ता था । चूंकि उक्त किया से सम्बन्धित उक्त निर्माण को पूर्व में शमन किया जा चुका

AE

है, जिससे यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत क्षेत्र (भूखण्ड) हाईटैक सिटी / नगरीय विस्तार क्षेत्र हेतु प्रयुक्त नहीं किया जा रहा है । ऐसी स्थिति में प्रश्नगत क्षेत्र कृषि भू–उपयोग के अन्तर्गत ही बना रहेगा ।

प्रश्नगत उक्त भूखण्ड ने पूर्व में शमन किये गये निर्माण के अलावा अतिरिक्त निर्माण प्रस्ताव किया गया है । मानचित्र का कुल भू–आच्छादन (पूर्व में शमन किये गये निर्माण से सम्बन्धित भू–आच्छादन एवं अतिरिक्त प्रस्तावित निर्माण से सम्बन्धित भू–आच्छादन) 7413.20 वर्गमीटर 10 प्रतिशत आता है, जो कि कृषि में अनुमन्य भू–आच्छादन के अन्तर्गत है ।

उक्त प्रकरण पर समिति द्वारा विचारोपरान्त प्रस्तावित इन्जीनियरिंग कालेज को अनुमन्य किये जाने की संस्तुति की गयी है । समिति की संस्तुति संलग्न है । जोनिंग रेगुलेशन के अन्तर्गत विशेष अनुमति से अनुमन्य कियाओं/ उपयोग हेतु समिति की संस्तुति के आधार पर शमनोपरान्त स्वीकृति एवं अवशेष प्रस्तावित निर्माण की स्वीकृति का प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है ।

AE

प्रमुख भू–उपयोग जोन्स में सक्षम अधिकारी द्वारा अन्य क्रियाएं अनुमन्य किए जाने हेतु गठित समिति की आख्या

विषय:–सुन्दरदीप एजुकेशनल सोसायटी द्वारा श्री महेन्द्र अग्रवाल, जनरल सैकेटरी द्वारा शिक्षण संस्थान इंजीनियरिंग एण्ड फार्मेसी कॉलेज, गाजियाबाद–राष्ट्रीय राजमार्ग–24–ग्राम डासना (खसरा नं0–2323, 2325, 2335 से 2337, 2457 से 2458, 2461 से 2480 तक, 2482 से 2486 तक एवं 2490 से 2492 तक) में अतिरिक्त प्रस्तावित निर्माण से सम्बन्धित मानचित्र की स्वीकृति पर विचार करने के सम्बन्ध में।

प्रमुख भू–उपयोग जोन्स में सक्षम अधिकारी द्वारा विशेष परिस्थितियों में अन्य क्रियाएं अनुमन्य किए जाने से पूर्व परीक्षण हेतु गठित समिति की बैठक दिनांक 13.07.2006 को आहूत की गई जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे–

1. श्री आर0पी0 पाण्डेय, अध्यक्ष/ विशेष कार्याधिकारी, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।
2. श्री राकेश यादव, सदस्य (गैर सरकारी सदस्य) गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।
3. श्री अरविन्द त्यागी, सहायक नियोजक (सदस्य) एन0सी0आर0 सैल, गाजियाबाद।

उपरोक्त सदस्यों के अतिरिक्त श्री एस0के0 जमान, मुख्य वास्तुविद् नगर नियोजक, श्री एस0के0 गौतम, नगर नियोजक तथा सम्बन्धित सहायक अभियन्ता भी उपस्थित थे। प्रकरण पर विचार–विमर्श हुआ, समिति की आख्या निम्न प्रकार है–

सुन्दरदीप एजुकेशनल सोसायटी द्वारा श्री महेन्द्र अग्रवाल, जनरल सैकेटरी द्वारा शिक्षण संस्थान इंजीनियरिंग एण्ड फार्मेसी कॉलेज राष्ट्रीय राजमार्ग–24 पर ग्राम डासना की भूमि (खसरा नं0–2323, 2325, 2335 से 2337, 2457 से 2458, 2461 से 2480 तक, 2482 से 2486 तक एवं 2490 से 2492 तक) में स्थित है तथा प्राधिकरण के अभिलेखानुसार पूर्व में उक्त भूमि पर इंजीनियरिंग एण्ड फार्मेसी कॉलेज से सम्बन्धित अनाधिकृत निर्माण को गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के द्वारा शमन किया जा चुका है तथा जिसमें भूखण्ड का क्षेत्रफल 80930.00 वर्ग मी0 है तथा 60 मी0 हरित पट्टी का एरिया छोड़ने के उपरान्त कुल भूखण्ड एरिया 74132.00 वर्गमी0 है एवं भू–आच्छादन के अन्तर्गत क्षेत्रफल 5592.02 वर्ग मी0 (7.54%) है।

शमन किए जा चुके निर्माण से सम्बन्धित भूखण्ड के अन्तर्गत आने वाले खसरा नम्बरों का गाजियाबाद महायोजना–2021 के अनुसार मौटे तौर पर भू–उपयोग इस प्रकार है:–ग्राम डासना के खसरा नं0 2323–प्रस्तावित 60 मी0 हरित पट्टी के अन्तर्गत, खसरा नं0 2325–आंशिक भाग 45 मी0 चौड़े मार्ग में व शेष भाग 60 मी0 हरित पट्टी के अंतर्गत, खसरा नं0 2335– आंशिक भाग प्रस्तावित 60 मीटर हरित पट्टी के अंतर्गत तथा शेष भाग हाईटैक सिटी/ नगरीय विस्तार क्षेत्र के अन्तर्गत, खसरा नं0 2336 से 2337 तक–हाईटैक सिटी/नगरीय विस्तार क्षेत्र के अन्तर्गत, खसरा नं0 2457 से 2458 तक–हाईटैक सिटी/नगरीय विस्तार क्षेत्र के अन्तर्गत, खसरा नं0 2461 से 2480 तक–हाईटैक सिटी/नगरीय विस्तार क्षेत्र के अन्तर्गत, खसरा नं0 2482 से 2486 तक–हाईटैक सिटी/नगरीय विस्तार क्षेत्र के अन्तर्गत एवं खसरा नं0 2490 से 2492 तक–हाईटैक सिटी/नगरीय विस्तार क्षेत्र के अन्तर्गत।

गाजियाबाद महायोजना–2001 के अनुसार उक्त प्रश्नगत् क्षेत्र कृषि क्षेत्र के अन्तर्गत पड़ता था। चूंकि प्राधिकरण के द्वारा उक्त किया से सम्बन्धित उक्त निर्माण को पूर्व मे शमन कर अनुमन्य किया जा चुका है। जिससे यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत क्षेत्र (भूखण्ड) हाईटैक सिटी /नगरीय विस्तार क्षेत्र हेतु प्रयुक्त नही किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत क्षेत्र कृषि भू–उपयोग के अन्तर्गत ही बना रहेगा।

प्रश्नगत् उक्त भूखण्ड में पूर्व में शमन किये गये निर्माण के अलावा अतिरिक्त निर्माण का प्रस्ताव किया गया है। मानचित्र का कुल भू–आच्छादन (पूर्व में शमन किये गये निर्माण से सम्बन्धित भू–आच्छादन एवं अतिरिक्त प्रस्तावित निर्माण से सम्बन्धित भू–आच्छादन) 7413.2 वर्गमी0 (10%) आता है, जो कि कृषि क्षेत्र में अनुमन्य भू–आच्छादन के अन्तर्गत है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रश्नगत् प्रस्तावित अतिरिक्त निर्माण को अनुमन्य किये जाने की संस्तुति निम्न शर्तो के साथ प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष आवश्यक निर्णय लेने हेतु प्रस्तुत है–

1. *प्रस्तावित अतिरिक्त निर्माण से सम्बन्धित मानचित्र को स्वीकृत करने से पूर्व उ0प्र0 शासन के द्वारा समय–समय पर जारी शासनादेशों मे निहित व्यवस्था/ स्वीकृत गाजियाबाद महायोजना–2021 के परिप्रेक्ष्य मे नियमानुसार सभी देय शुल्क प्राधिकरण आवेदक से जमा करा ले तथा प्राधिकरण यह भी सुनिश्चित कर ले कि प्रश्नगत भूखण्ड नगरीय विस्तार के क्षेत्र के कियान्वयन से मुक्त है अर्थात स्वीकृत भू–विकासकर्ता के प्रयोग में नही है।*
2. *पूर्व मे प्रश्नगत भूखण्ड पर शमन किए गए निर्माण को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्नगत् स्थल पर निर्माण अनुमन्य भू–आच्छादन (10%) एव निर्धारित एफ.ए.आर. (0.15%) के अन्तर्गत ही रखा जाये तथा भविष्य मे अतिरिक्त एफ.ए.आर. अनुमन्य/शमन नही किया जाये ताकि कृषि क्षेत्र के स्वरूप को यथावत् रखा जा सके।*
3. *मानचित्र मे पार्किंग/ सैटबैक इत्यादि मे दर्शायी गयी भूमि भविष्य मे मार्ग विस्तार/सार्वजनिक पार्क इत्यादि हेतु आवश्यकता पड़ने पर प्राधिकरण को निःशुल्क हस्तानान्तरित करनी होगी।*
4. *मानचित्र की स्वीकृति हेतु शासन द्वारा निर्धारित सभी नियमो एव बायलॉज का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा स्थल के भू उपयोग को अंतिम रूप से कृषि भू उपयोग मे ही माना जाये।*
5. *राष्ट्रीय राजमार्ग–24 के किनारे प्रस्तावित 60 मीटर हरित पट्टी को भूखण्ड मे पूर्ण रूप से निर्माण रहित एव अतिकमण रहित रखा जाये।*

अरविन्द कुमार त्यागी	राकेश यादव	**श्री आर0पी0 पाण्डेय**
[illegible]	सदस्य	अध्यक्ष विशेष कार्याधिकारी
	प्राधिकरण	गा0वि0प्रा0

मद संख्या : 10

विषय : अन्सल हाउसिंग एण्ड कन्सट्रक्शन लि0 द्वारा विकसित अवन्तिका आवासीय कालोनी में स्थित 45 मीटर चौडे महायोजना मार्ग की चौडाई को संशोधित करने के संबंध में।

मै0 अंसल हाउसिंग एण्ड कन्सट्रक्शन लि0 के पत्र दिनांक 28.06.2006 के द्वारा अनुरोध किया गया है कि अंवन्तिका योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित 45.00 मीटर चौडे महायोजना मार्ग को मौके पर बनाया जाना सम्भव नही है , क्योकि न तो इसके लिये प्राधिकरण द्वारा भूमि अर्जित की गयी है , और न ही स्थल पर भूमि उपलब्ध है । सड़क के एक ओर बहुतायत में अनाधिकृत निर्माण हो गये है तथा दूसरी ओर प्राधिकरण की शास्त्री नगर आवासीय योजना में लगभग 24 मी0 चौडी सड़क से होकर ही इस सड़क पर आ जा सकते है । इस मार्ग के एक ओर पुलिस लाईन तथा दूसरी ओर शास्त्री नगर योजना है अतः प्रश्नगत स्थल की वर्तमान स्थिति को देखते हुए मार्ग की चौडाई का यथायोग्य निर्धारण कराया जाना उचित होगा ।

प्रश्नगत मार्ग महायोजना 2001 में 45 मी0 चौडा प्रदर्शित था । गाजियाबाद महायोजना 2021 तैयार करते समय हापुड रोड से पुलिस लाईन तथा एफ ब्लाक शास्त्री नगर के बीच जाने वाली सडक की चौडाई महायोजना प्रारूप 2021 में 24 मी दर्शायी गयी थी, जिसे संशोधित प्रारूप 2021 में 45 मी0 प्रदर्शित कर दिये जाने पर मै0 अंसल हाउसिंग एण्ड कन्सट्रक्शन लि0 द्वारा इसे 24 मी चौडा ही रखा जाने हेतु आपत्ति उठाई गयी थी किन्तु महायोजना पर प्राप्त आपत्ति एवं सुझाव पर निर्णय लिये जाने हेतु गठित समिति द्वारा उक्त आपत्ति को निरस्त कर दिया गया तथा अवंतिका कालोनी के आंशिक भाग पर 45 मी0 चौडी सड़क प्राधिकरण से स्वीकृत होने के दृष्टिगत इसे यथावत रखे जाने का निर्णय लिया गया तदोपरान्त महायोजना 2021 दिनांक 14.07.2005 में लागू कर दी गयी ।

मै0 अंसल हाउसिंग एण्ड कन्सट्रक्शन के प्रार्थना पत्र दिनांक 28.06.2006 के कम में स्थल का सर्वेक्षण कराया गया जिसमें वर्तमान स्थिति यह है कि स्थल से हापुड रोड से प्रारम्भ इस प्रस्तावित महायोजना मार्ग के स्थान पर 15.00 मी0 चौडाई उपलब्ध है जिसके मध्य में एक माईनर भी है । इसकी एक साइड में पुलिस लाईन के भवन निर्मित है तथा दूसरी साइड में सिंचाई विभाग का आफिस एवं भवन तथा इसके बाद गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की शास्त्री नगर योजना के "एफ" ब्लाक के भवन स्थित है । हापुड मेन रोड से लगभग 300 मी0 अन्दर जाने के उपरान्त अंवतिका योजना से लगी अवैध कालोनी के भवन निर्मित है , जो लगभग 200 मी0 की लम्बाई में है । इस स्थान पर उपलब्ध भूमि की चौडाई 15 मी0 है तथा सम्पूर्ण 500 मी0 लम्बाई में एच0टी0 लाईन के पोल भी लगे है ।

एस० के० गौतम
नगर नियोजक

इसके पश्चात प्रस्तावित मार्ग के दोनो साइड में 30 मी लम्बाई मे भवन निर्मित है । इस स्थान पर सड़क की चौडाई 15 मी0 है तथा इसके आगे लगभग 700 मी0 लम्बाई में 24 मी0 चौडी सडक निर्मित है । यह सड़क हापुड रोड में जाकर मिलानी प्रस्तावित है जिसकी लम्बाई 500 मी0 है किन्तु सड़क के अन्त में अर्थात हापुड रोड से लगे अवैध भवन निर्मित है ।

अत: 45 मी0 चौडी प्रस्तावित सडक को बनाने के लिये जगह उपलब्ध कराने हेतु अवैध रूप से बने उन भवनो को तोडना होगा जिन निर्मित भवनो में लोग निवास कर रहे है । पुलिस लाईन परिसर तथा सिंचाई विभाग के परिसर में निर्धारित चौडाई में भी निर्माण को तोडना होगा । जिसके लिये उच्च स्तर पर निर्णय वांछित होगा।

उपरोक्त आख्या के परिपेक्ष्य में स्थल पर मार्ग हेतु भूमि की अनुपलब्धता एवं वास्तविकता के आधार पर मै0 अंसल हाउसिंग एण्ड कन्सट्रकशन लि0 के सन्दर्भित महायोजना मार्ग को 24 मी0 चौडा किये जाने के अनुरोध पर प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है ।

एस० के० गौतम
नगर नियोजक

मद संख्या: 11

विषय:– मै0 कालिन्दी ब्राइट स्टील्स एण्ड टयूब्स लि0 को कौशाम्बी में आवंटित भूमि के न्यायिक विवाद का कोर्ट के बाहर समझौते हेतु।

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 1989 में वैशाली योजना में ग्रुप हाउसिंग हेतु (स्कीम कोड–543) एवं कौशाम्बी योजना में व्यवसायिक स्पेस हेतु योजना(स्कीम कोड–542) प्रकाशित की गयी थी। कौशाम्बी योजना में व्यवसायिक स्पेस हेतु एक हजार वर्ग मीटर, 750 वर्ग मीटर एवं 500 वर्ग मीटर के भूखण्ड की योजना बनायी गयी थी। मै0 कालन्दी ब्राईट स्टील्स एण्ड टयूब्स लि0 द्वारा कौशाम्बी योजना में एक हजार वर्ग मीटर व्यवसायिक स्पेस हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया था। इस श्रेणी में कुल 8 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए थे। इन प्रार्थना पत्रों की जॉच तत्कालीन सचिव, मुख्य लेखाधिकारी एवं मुख्य वास्तुविद एवं नगर नियोजक की समिति द्वारा की गयी है। समिति ने अपनी संस्तुति में अपोलो टायर्स एवं हडको को कमशः प्रतिष्ठित एवं सरकारी संस्था होने के कारण एक हजार वर्ग मीटर का प्लाट आवंटन के लिए उपयुक्त पाया गया था। मै0 हिन्दुस्तान फर्टिलाईजर कारपोरेशन को सरकारी संस्था होने के कारण अलग से एक हजार वर्ग मीटर का प्लाट आवंटित कर दिया गया था । समिति ने मै0 कालन्दी ब्राइट स्टील्स एण्ड टयूब्स के संबंध में निम्न टिप्पणी दी थी :–

"यह फर्म भी चूँकि दिल्ली की ही है एवं योजना का मूल उददेश्य दिल्ली के नजदीक आफिस उपलब्ध कराना था, अतः विचार नही किया गया।"

इस प्रकार इस संस्था को प्लाट का आवंटन नही किया गया। इस संस्था ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ 4 लाख रूपये जमा किये थे जो कि प्राधिकरण में अब भी जमा है। इस जमा धनराशि को रिफण्ड करने से पूर्व कार्यवाही पूरी करने के लिये दिनॉक 3–9–91 एवं दिनॉक 23–9–91 को पत्र भेजे थे परन्तु इनके द्वारा मूल रसीदें कार्यालय में उपलब्ध न कराये जाने के कारण रिफन्ड समबन्धी कार्यवाही नही की जा सकी। इसी बीच संस्था द्वारा प्राधिकरण के विरूद्व माननीय उच्च न्यायालय में वाद दायर कर दिया गया जो अभी विचाराधीन है। इस संस्था द्वारा उपभोक्ता संरक्षण राज्य आयोग उत्तर प्रदेश लखनऊ में भी प्राधिकरण के विरूद्व शिकायती पत्र प्रस्तुत किया गया। मै0 कालिन्दी ब्राइट स्टील एण्ड टयूब्स लि0 का मामला दिनॉक 31–5–93 को हुई बैठक में रखा गया था जिसमें यह निर्णय लिया गया कि मामला शासन को सन्दर्भित किया जाये। तदानुसार यह मामला बोर्ड के प्रस्ताव एवं निर्णय सहित इस कार्यालय के पत्र संख्याः 927 दिनॉक 23–6–93 के अनुसार शासन को सन्दभित कर दिया गया है तथा इस संबंध में दिनॉक 20–7–93 को शासन को पुनः पत्र भेजा गया जिसके सन्दर्भ में शासन से यह निर्देश प्राप्त हुये कि प्रश्नगत प्रकरण का निस्तारण किस प्रकार हो यह अन्तिम निर्णय प्राधिकरण को अपने स्तर से लेना है तथा परामर्श के रूप में शासन का मत है कि क्योंकि प्राधिकरण के पास अभी भी प्लाट उपलब्ध है, इसलिये यदि संबंधित पार्टी

आर० एन० सिंह
अधिशासी अभियन्ता,
(व्यावसायिक)

माननीय न्यायालय उपभोक्ता संरक्षक आयोग में दायर वाद वापस ले लेती है तो पारस्पिरिक समाधान के रूप में प्राधिकरण उनके साथ समझौता कर सकता है। जहाँ तक भूमि की दर का प्रश्न है, यह उचित होगा कि जिस समय प्राधिकरण ने यह आफर दिया था, उस समय प्रचलित जो दर थी वह दर तथा उस पर उस समय से अब तक जो ब्याज होगा, उसको जोडते हुए जो धनराशि निकलती है, वही लिया जाना उचित प्रतीत होता है। ब्याज की दर उतनी रखी जा सकती है जितनी कि प्राधिकरण की कास्ट आफ फण्ड के बराबर हो।"

योजना संख्या–542 जिसके अन्तर्गत मै0 कालन्दी स्टील्स एण्ड टयूब्स लि0 द्वारा आवेदन किया गया था, वर्ष 1989 में व्यवसायिक दर रू0 4000/–प्रति वर्ग मीटर निर्धारित थी तथा इस क्षेत्र मं नीलामी द्वारा वर्ष 1989 में व्यवसायिक प्लाट हेतु बोली रू0 13,127/– से 13,463/– की दर आयी थी। उक्त योजना मे संबंधित प्लाटों पर कार्यालय आदि का ही निर्माण किया जाना प्रस्तावित था। अतः रूपये 4000/–प्रति वर्ग मीटर में प्राधिकरण में प्रचलित दर 18 प्रतिशत ब्याज सम्मिलित करते हुए इस समय रू0 8060.20 प्रति वर्ग मीटर आती है। इस दर पर मै0 कालन्दी ब्राइटस को व्यवसायिक भूखण्ड का आवंटन इस शर्त के साथ किया जा सकता है कि ये प्राधिकरण के विरूद्व दायर समस्त वाद वापस ले ले। यह प्रस्ताव प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनॉक 11–3–94 के मद संख्याः 32 पर प्रस्तुत किया गया था। प्राधिकरण बोर्ड द्वारा यह निर्णय लिया गया कि संस्था द्वारा जमा की गयी धनराशि पर बचत दर पर ब्याज जोडकर धनराशि समायोजित की जाये। धनराशि वापसी की दशा में ब्याज देय नही होगा। तदानुसार पत्र संख्याः 685/व्यव0 अनु0/94 दिनॉक 25–4–94 द्वारा मै0 कालिन्दी ब्राइट स्टील्स लि0 को न्यायालय से वाद वापिस लेने का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के साथ आवंटन पत्र जारी करने की सहमति हेतु पत्र भेजा गया। माननीय उच्च न्यायालय में दायर वाद को वापिस लेने का निर्णय दिनॉक 19–5–94 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका खारिज किये जाने के उपरान्त प्राधिकरण के पत्र संख्याः 383/सी0–2 दिनॉक 6–695 द्वारा किश्ते निर्धारित करते हुए आवंटन पत्र जारी कर दिया गया। मै0 कालिन्दी ब्राइट स्टील्स लि0 द्वारा अपने पत्र दिनॉक 8–10–95 में स्कीम कोड 542 एवं प्रापर्टी कोड 730 के अनुसार बेसमेंट ग्राउन्ट कवरेज प्लस 15 मंजिल निर्माण के लिए ब्रोशर के अनुसार निर्धारण हेतु पत्र प्रेषित किया गया। मै0 कालिन्दी ब्राइट स्टील्स एण्ड टयूब्स लि0 द्वारा दरों के संबध में निर्धारित विज्ञापन में जारी शर्तो के अनुसार प्लान अनुमन्य किये जाने के संबंध में पत्र दिये जाते रहे है। इनके द्वारा पुनः माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर कर दी इसमें मूल विज्ञापन के अनुसार 1000 वर्ग मीटर हेतु देय सुविधाओं को अनुमन्य किये जाने हेतु माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष वाद दायर किया गया है । इस वाद में कोई स्थगन आदेश न होने की स्थिति को देखते हुए प्राधिकरण द्वारा अपने पत्र संख्याः 855/व्यव0/ दिनॉक 23–10–2000 के द्वारा उक्त आवंटन निरस्त किये जाने हेतु पत्र प्रेषित कर दिया गया। इस आधार पर जमा धनराशि वापिस करने की कार्यवाही की जाने लगी और भूखण्ड को पुनः नीलामी में रखने की कार्यवाही की जाने

आर० एन० सिंह
अधिशासी अभियन्ता,
(व्यावसायिक)

लगी परन्तु यह कार्यवाही मै0 कालिन्दी ब्राइट स्टील्स की मूल रसीदे न मिलने के कारण नही हो सकी। मै0 कालिन्दी ब्राइट स्टील्स के द्वारा अपने पत्र दिनॉक 14–7–05 द्वारा कोर्ट के बाहर ओ0टी0एस0 के आधार पर बकाया धन जमा करने पर सैटलमेंट करने हेतु पत्र दिया गया है। विगत दिनों कौशाम्बी योजना में भूखण्ड संख्याः सी0के0–2 की नीलामी आयोजित की गयी थी जिसमें रू0 35000 अधिकतम बोली प्राप्त हुई है। यह भूखण्ड दिल्ली जाने वाले मुख्य मार्ग को फेस करते हुए होने के साथ ही 80 फुट चौडी सडक पर स्थित है । भूखण्ड की लोकेशन अच्छी होने के कारण इसकी बोली अच्छी प्राप्त हुई है। कौशाम्बी में ही खराब लोकेशन के कारण सी0–2 की नीलामी में कोई भी बोली अभी तक प्राप्त नही हुई है जबकि भूखण्ड संख्याः सी0–2 की भूखण्ड संख्या 15–16 से अच्छी लोकेशन में अवस्थित है। भूखण्ड संख्याः 15–16 अन्दर की ओर है एवं 40 फुट चौडी सडक पर स्थित है। इस भूखण्ड के विवाद को हल किये जाने के दृष्टिकोण से एवं पक्ष द्वारा विवाद हल न होने के कारण बार–बार उच्च न्यायालय में वाद दायर करने की स्थिति को देखते हुए इसका एक मुश्त समाधान के आधार पर पुर्नस्थापित किये जाने की कार्यवाही की गयी है जिसमें कुल 997.44 वर्ग मीटर के भूखण्ड हेतु प्राधिकरण को रू0 234.00 लाख प्राप्त होगें। प्राधिकरण द्वारा अपनी नीति के अनुसार विवाद को खत्म करते हुए ओ0टी0एस0 के आधार पर धनराशि जमा करने एवं वाद वापिस लिये जाने की शर्त के साथ भूखण्ड की पुनः स्थापना की कार्यवाही की गयी है। मूल विज्ञापन के अनुसार कौशाम्बी कोड–542 के निर्माण हेतु आर्किटैक्चरल कन्ट्रोल निर्धारित था। जो कि निम्न प्रकार है।

ANNEXURE "A"

Commercial Space in Kaushambi Code -542

S.No.	Plot Area	property Code	Arch Control	Covd. Area	Reg. Amount	Details of Coverage
1-	500 Sq. Mtrs.	710	Basement + G.F.+7	3700 Sq.Mtrs.	2,00,010/-	Basement Full G.F.+3 Full 2000 4 to 7 85% 1700 Total Area 3700
2-	750 Sq.Mtrs.	720	Basement + G.F.+9	7000 Sq. Mtrs.	3,00,010/-	Basement Full G.F.+4 Full 3750 5 to 9 650 Sq. 3250 Mtrs per floor Total Area 7000
3-	1000 Sq. Mtrs.	730	Basement+G.F.+15	14,800 Sq. Mtrs.	4,00,010/-	Basement Full G.F.+7 Full 8000 8 to 15 85% 6800

आर० एन० सिंह
अधिशासी अभियन्ता,
(व्यावसायिक)

						Total Area 14,800

मै0 कालिन्दी ब्राइट स्टील्स एण्ड टयूब्स लि0 को 15,16 दो भूखण्डों का आवंटित है जिनका क्षेत्रफल अलग–अलग 500 वर्ग मीटर से कम है। अतः प्राधिकरण के अनुसार आर्किटैक्चरल कन्ट्रोल 500 वर्ग मीटर के भूखण्डों का रखना होगा इनके द्वारा 1000 वर्ग मीटर के भूखण्ड के लिए आवेदन किया था जिसकी शर्तो का उल्लेख इनके द्वारा लगातार किया जाता रहा है। दोनों भूखण्ड को जोडकर कुल क्षेत्रफल 997.44 वर्ग मीटर होता है परन्तु पूर्व में जो भूखण्ड जिस श्रेणी में आवंटित किये गये थे उन पर तत्समय लागू आर्किट्रैक्चरल कन्ट्रोल आज भी अनुमन्य किया जा रहा है। इसी प्रकार कालिन्दी ब्राइटस द्वारा भी उसी समय 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के भूखण्ड प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया था और इन्हें आवंटन भी कर दिया गया था परन्तु आवश्यकता से कम होने के कारण इनके द्वारा लगातार 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के भूखण्ड की मॉग की जाती रही तथा मा0 उच्च न्यायालय मे भी वाद दायर किया गया है। अतः विवाद को समाप्त करने के उददेश्य से इनको दो भूखण्ड लगभग 500–500 वर्ग मीटर के आवंटित किये गये है जिनका कुल क्षेत्रफल 997.44 वर्ग मीटर है। तत्समय की निर्धारित नियम व शर्तो में 500 वर्ग मीटर भूखण्ड पर बी0 +जी0+7 मंजिला निर्माण अनुमन्य है तथा 1000 वर्ग मीटर के भूखण्ड पर बी0+जी0+15 मंजिला निर्माण अनुमन्य है। अतः आवेदक द्वारा 1000 वर्ग मीटर पर अनुमन्य निर्माण की अनुमति मॉगी जा रही है। अब चूँकि मै0 कालिन्दी ब्राइटस को लगभग 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल अर्थात 997.44 वर्ग मीटर क्षेत्रफल आवंटित किया गया है। अतः ऑउट आफ कोर्ट समझौते हेतु 1000 वर्ग मीटर पर तत्समय लागू कन्ट्रोल डिजाइन के अनुसार निर्माण अनुमन्य किये जाने का विषय प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

आर० एन० सिंह
अधिशासी अभियन्ता,
(व्यावसायिक)

45

मद संख्या: 12

विषय:— संजयनगर डिस्ट्रिक सैन्टर स्थित होटल भूखण्ड का भू—उपयोग रेस्टोरेंट, बैंकट हॉल—कम—व्यवसायिक करते हुए इसकी नीलामी किये जाने के संबंध में।

संजयनगर के डिस्ट्रिक सैन्टर के ले—आउट में 1932.58 वर्ग मीटर का यह भूखण्ड होटल उपयोग हेतु नियोजित किया गया है जिसका एफ0ए0आर0 2.0 एवं ग्रॉउन्ड कवरेज 30 प्रतिशत निर्धारित है। प्राधिकरण द्वारा दिनॉक 26—6—06 को इसका आरक्षित मूल्य रू0 12000.00 प्रति वर्ग मीटर निर्धारित करते हुए नीलामी की गयी थी जिसमें रू0 28800.00 प्रति वर्ग मीटर की दरें प्राप्त हुई है । इसी बीच उत्तर प्रदेश शासन द्वारा होटल उद्योग हेतु नीति निर्देश प्राप्त हुए है परन्तु वह केवल 3,4 व 5 स्टार होटलों के भूखण्डों के संबंध में है जबकि यह भूखण्ड केवल 1932.58 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का है जिसमें एक सुव्यवस्थित एवं आकर्षण होटल बनाये जाने में असुविधा होगी तथा होटल हेतु निर्धारित सुविधाओं को भी पर्याप्त रूप में उपलब्ध कराये जाने में कठिनाई होगी । चूँकि होटल भी एक व्यवसायिक गतिविधि है इसलिए शासन द्वारा जारी जोनिंग रेगुलेशन्स में मिश्रित व्यवसायिक भू—उपयोग में अनुमन्य की श्रेणी में रखा गया है। संजय नगर योजना से सटी राजनगर आवासीय योजना में पूर्व से ही एक थ्री स्टार होटल" मेला प्लाजा" बना हुआ है। जो इस भूखण्ड से लगभग एक किलोमीटर की परिधि में पडता है तथा इसमें भी ओक्यूपेंसी काफी कम रहती है। इसलिए इतने पास दो होटल रखे जाने का औचित्य नही है। अतः होटल हेतु आरक्षित भूखण्ड को व्यवसायिक उपयोग हेतु परिवर्तित कर दिया जाये जिसमें भूखण्ड की रिजर्व प्राइस रू0 28600.00 प्रति वर्ग मीटर रखते हुए व्यवसायिक भू—उपयोग में रेस्टोरेंट, बैंकट हॉल आदि भी अनुमन्य किया जाये

उपरोक्तानुक्रम में संजय नगर डिस्ट्रिक सैन्टर में स्थित होटल के भूखण्ड को व्यवसायिक उपयोग में परिवर्तित करते हुए नीलामी द्वारा विक्रय किये जाने का प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

आर० एन० सिंह
अधिशासी अभियन्ता,
(व्यावसायिक)

मद संख्याः 12

विषयः— ग्रुप हाउसिंग एवं व्यवसायिक भूखण्डों की नीलामी हेतु पूर्व निर्धारित 6 माह की अवधि को ब्याज सहित 3 वर्ष तक बढाये जाने के संबंध में।

प्राधिकरण की विगत बोर्ड बैठक दिनॉक 20–7–06 के मद संख्याः–26 पर यह निर्णय लिया गया था कि प्राधिकरण के पास वर्तमान में पर्याप्त धनराशि की उपलब्धता को देखते हुए भविष्य में की जाने वाली नीलामी हेतु सफल बोलीदाताओं को दो माह में बिना ब्याज के 75 प्रतिशत धनराशि जमा करने अथवा तीन वर्ष में 12 प्रतिशत ब्याज सहित किश्तों मे जमा करने की सुविधा दी जाये तदनुसार ही प्राधिकरण द्वारा उक्त तिथि के बाद यह विकल्प दिया जा रहा है। पूर्व में की गयी नीलामी में कुछ सफल बिडदाताओं द्वारा यह मॉग की जा रही है कि इन्हें भी 12 प्रतिशत ब्याज सहित 3 वर्षो की 6 छमाही किश्तों में अवशेष 75 प्रतिशत धनरशि जमा करने की सुविधा प्रदान की जायें।

अतः प्राधिकरण द्वारा पूर्व में की गयी नीलामी में 6 माह के स्थान पर अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि जमा करने हेतु 3 वर्ष का समय 12 प्रतिशत ब्याज सहित दिये जाने हेतु उपाध्यक्ष महोदय को अधिकृत किये जाने का प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

११।८।०७

मद सं0 : 14

विषय : गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में कार्यरत अभियन्ताओं का वाहन भत्ता बढाये जाने के सम्बन्ध में ।

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में कार्यरत अभियन्ताओं को पूर्व में स्कूटर/ मोटर साईकिल भत्ता रू0 75–00 तथा कार भत्ता रू0 200–00 प्रतिमाह शासनादेश अनुसार दिया जा रहा था । प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 16–4–80 में लिये गये निर्णय अनुसार स्कूटर/ मोटर साईकिल भत्ता रू0 150/ – प्रतिमाह तथा कार भत्ता रू0 400/ – प्रतिमाह दिये जाने का निर्णय लिया गया ।

पुनः अभियन्ताओं की मांग के आधार पर प्राधिकरण की बोर्ड दिनांक 3–6–99 में इनका वाहन भत्ता बढाने हेतु प्रस्ताव रखा गया । बोर्ड द्वारा विचारोपरान्त पुनः वाहन भत्ता रू0 150–00 से बढाकर रू0 300–00 एवं रू0 400–00 से बढाकर रू0 800–00 प्रतिमाह किया गया एवं इस सम्बन्ध में इसी मध्य शासनादेश सं0 सा–4–229/ दस– 2000 – 626 –2000, दिनांक 10 मार्च 2000 अनुसार स्कूटर/ मोटर साईकिल भत्ता रू0 350/ – एवं कार भत्ता रू0 800/ – प्रतिमाह दिये जाने का निर्णय लिया गया जो बोर्ड बैठक दिनांक 23–12–2000 में रखा गया ,तथा उसी के अनुसार अभी वाहन भत्ते का भुगतान किया जा रहा था।

पुनः अभियन्ताओं की मांग के आधार पर कार्यालय आदेश दिनांक 13–9–2004 अनुसार बोर्ड की स्वीकृति की प्रत्याशा में वाहन भत्ते में डेढ गुना वृद्धि करते हुए स्कूटर/ मोटर साईकिल भत्ता रू0 350 /– से बढ़ाकर रू0 525 /– तथा कार भत्ता रू0 800/– से बढाकर रू0 1200 /– दिनांक 1–9–2004 से दिया जा रहा है । जिसकी स्वीकृति प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 31–1–2005 में प्राप्त की गयी

वर्तमान में इनके द्वारा पुनः वाहन भत्ता बढाये जाने का अनुरोध किया गया है । पेट्रोल तथा डीजल की कीमतों में बढोत्तरी को देखते हुए इनका वाहन भत्ता पुनः बढाये जाने पर विचार किया जाना है । पेट्रोल डीजल की कीमतों का बजाज मोटर्स का रेट चार्ट संलग्न है । जिसके अनुसार डीजल/ पेट्रोल की कीमतों में रू0 40.24 से रू0 50.51 प्रति लीटर अर्थात लगभग रू0 10.25 प्रति लीटर वृद्धि हुई है । अतः अभियन्ताओं की मांग को दृष्टिगत रखते हुए इनको दिये जाने वाला स्कूटर/ मोटर साईकिल भत्ता रू0 1000/– एवं कार भत्ता रू0 2000/– किये जाने हेतु प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है ।

अनिल राणा
अनुसचिव
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

मद संख्या : 15

विषय : गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में कार्यरत वाहन चालकों का धुलाई भत्ता बढाये जाने के सम्बन्ध में ।

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 25–5–2006 में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का धुलाई भत्ता रू0 12.00 प्रतिमाह से बढ़ाकर रू0 100.00 प्रतिमाह किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है । इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को रू0 12/– प्रतिमाह तथा वाहन चालकों को पूर्व में धुलाई भत्ता रू0 20/– प्रतिमाह दिया जा रहा था । परन्तु बोर्ड निर्णय में धुलाई भत्ता रू0 12/– से बढाकर रू0 100/– प्रतिमाह कर दिया गया है तथा रू0 20/– प्रतिमाह धुलाई भत्ता पाने वाले कर्मचारी वही धुलाई भत्ता आहरित कर रहे थे, जिसके कारण बोर्ड से स्वीकृति की प्रत्याशा में इन्हें भी रू0 100/– प्रतिमाह धुलाई भत्ता दिया जा रहा है ।

अतः गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में कार्यरत जिन कर्मचारियों को धुलाई भत्ता दिया जा रहा है, उन सभी कर्मचारियों को धुलाई भत्ता रू0 100.00 दिये जाने की औपचारिक स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है ।

मानस राणा
अनुसचिव
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

49

मद संख्या – 16

विषय – भवन संख्या सैक्टर 1/61 बी कामना वैशाली ई0डब्लू0एस0 के दण्डात्मक ब्याज व चौकीदार शुल्क माफ किए जाने के सम्बन्ध में ।

भवन संख्या सैक्टर–1 /61 बी कामना ई0डब्लू0एस0 वैशाली श्रीमती गीता राय को वर्ष 1996 में अनुमानित मूल्य रू0 70000.00 पर आवंटित किया गया था एवं तदानुसार इनको भुगतान विवरण निर्गत किया गया । आवंटी द्वारा अब तक रू0 7000.00 की धनराशि जमा करायी गई थी । आवंटी को दिनॉक 30.2.2002 को भवन का अन्तिम मूल्य रू0 89590.00 सूचित किया गया तथा पूर्व में अनुमानित मूल्य रू0 70000.00 व अन्तिम मूल्य रू0 89590.00 के अन्तर की धनराशि रू0 19590.00 पत्र दिनॉक 30.2.2002 के अनुसार एक माह में जमा करना था । इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आवंटी द्वारा अब तक केवल रू0 7000.00 की धनराशि जमा कराई गई है जबकि अभी कुल मूल धन रू0 83619.00 अवशेष है व इस धनराशि पर दिनॉक 30–8–2006 तक का दण्डात्मक ब्याज रू0 1,30,789.00 देय हो चुका है । आवंटी द्वारा अनुरोध किया गया है कि उनकी माली हालात ठीक न होने के कारण वह प्राधिकरण में समय से धनराशि जमा नहीं करा पाई । समय से धनराशि जमा न होने के कारण प्राधिकरण द्वारा दण्डात्मक ब्याज व चौकीदार शुल्क रू0 22400.00 की मॉग की जा रही है ।

अतः रू0 1,30,789.00 का दण्डात्मक ब्याज व रू0 22400.00 चौकीदारा शुल्क दिनॉक 30.8.2006 की गणनानुसार माफ किए जाने हेतु प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है ।

15/3

सुनिष्ठा सिंह
विशेषकार्याधिकारी
गा0वि0प्रा0, गा0बाद

मद संख्या – 17

विषय – भवन संख्या सैक्टर–1/62 बी कामना वैशाली ई0डब्लू0एस0 के दण्डात्मक ब्याज माफ किए जाने के सम्बन्ध में ।

भवन संख्या सैक्टर–1 /62 बी कामना ई0डब्लू0एस0 वैशाली श्री शैलेश कुमार राय को वर्ष 1996 में अनुमानित मूल्य रू0 70000.00 पर आवंटित किया गया था एवं तदानुसार इनको भुगतान विवरण निर्गत किया गया । दिनॉक 1–5–1996 को आवंटी को भवन का कब्जा दे दिया गया था तब तक आवंटी द्वारा रू0 23000.00 की धनराशि जमा करायी गई थी । कब्जा दिए जाने के उपरान्त आवंटी को दिनॉक 30–5–2003 को भवन का अन्तिम मूल्य रू0 89590.00 सूचित किया गया तथा पूर्व में अनुमानित मूल्य रू0 70000.00 व अन्तिम मूल्य रू0 89590.00 के अन्तर की धनराशि रू0 19590.00 पत्र दिनॉक 30.5.2003 के अनुसार एक माह में जमा करना था । इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आवंटी द्वारा अब तक केवल रू0 23000.00 की धनराशि जमा कराई गई है जबकि अभी कुल मूल धन रू0 59969.00 अवशेष है व इस धनराशि पर दिनॉक 30–8–2006 तक का दण्डात्मक ब्याज रू0 86082.00 देय हो चुका है । आवंटी द्वारा अनुरोध किया गया है कि वह अल्प वेतन भोगी कर्मचारी हैं व माता–पिता के बीमार रहने के कारण उनके ईलाज पर धनराशि अत्याधिक खर्च होने के कारण वह प्राधिकरण में समय से धनराशि जमा नहीं करा पाए । समय से धनराशि जमा न होने के कारण प्राधिकरण द्वारा दण्डात्मक ब्याज की मॉग की जा रही है ।

अतः रू0 86082.00 का दण्डात्मक ब्याज दिनॉक 30–8–2006 की गणनानुसार माफ किए जाने हेतु प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है ।

1/9/8

सुनिष्ठा सिंह
विशेषकार्याधिकारी
ग0वि0प्रा0, गा0बाद

द संख्या: 18

विषय : इन्दिरापुरम योजना में उपयोग की गयी अनार्जित भूमि के बदले भूमि दिये जाने के सम्बन्ध में ।

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा इन्दिरापुरम आवासीय योजना हेतु राजस्व ग्राम मकनपुर की लगभग 1296 एकड़ भूमि का अधिग्रहण वर्ष 1999 में कराया गया था । उक्त अधिग्रहीत भूमि पर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा नियोजन कर विकास किया जा चुका है। इस भूमि में खसरा नम्बर 1892/2642 ग्राम मकनपुर का अधिग्रहण कर शिजरा प्लान पर खसरा नम्बर अंकित न होने के कारण नहीं हो सका । उक्त खसरा नम्बर का क्षेत्रफल 1–7–0 बीघा है तथा यह खसरा इन्दिरापुरम योजना के न्यायखण्ड–द्वितीय के अन्तर्गत पड़ता है । इस खसरा नम्बर की भूमि पर प्राधिकरण द्वारा विकास कार्य कर भूखण्ड आवंटित कर दिये गये है । खसरा नम्बर 1892/2692 प्राधिकरण की इन्दिरापुरम योजना के न्यायखण्ड–द्वितीय में पार्क एवं रोड़ में पड़ता है परन्तु भू–स्वामियों द्वारा तहसील से कराये गये सर्वे के अनुसार खसरा नम्बर 1892/2642 की भूमि भूखण्ड संख्या एन0के0–द्वितीय/275 से 281 तथा भूखण्ड संख्या एन0के0–द्वितीय/304 से 310 के अन्तर्गत पड़ती है । उक्त भूखण्डों का आवंटन कर प्राधिकरण द्वारा आवंटियों के पक्ष में रजिस्ट्री आदि सम्पादित करायी जा चुकी है । खसरा नम्बर 1892/2642 के भू–स्वामियों द्वारा स्थल पर प्राधिकरण के आवंटियों को कब्जा नहीं करने दिया जा रहा है तथा माननीय न्यायालय में वाद दायर कर स्थगन आदेश भी प्राप्त किया जा चुका है । प्राधिकरण के आवंटियों द्वारा भूखण्डों के कब्जे दिलाये जाने हेतु प्राधिकरण पर दबाव बनाया जा रहा है ।

इस प्रकार के प्रकरणों के निस्तारण हेतु प्राधिकरण द्वारा कृषकों की अनार्जित भूमि उपयोग कर लिये जाने के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 30/11/02 के मद संख्या–10 पर रखा गया था जिसमें आवंटी को दी जाने वाली भूमि पर वर्तमान दर से वाह्य एवं आन्तरिक विकास शुल्क नियमानुसार लीजरेन्ट एवं फ्रीहोल्ड चार्ज प्रस्तावित था तथा इस आवंटित भूमि पर वह सभी नियम एवं शर्तें लागू होंगे जो सामान्य आवंटियों को होते हैं तथा प्राधिकरण के बिल्डिंग बायलॉज लागू होंगे । प्राधिकरण को प्राप्त होने वाली भूमि पर पंजीकरण व्यय प्राधिकरण द्वारा तथा आवंटी को प्राप्त होने वाली भूमि पर पंजीकरण व्यय आवंटी द्वारा वहन किया जायेगा । यदि आवंटी का कोई वाद किसी भी न्यायालय में विचाराधीन है तो वह पंजीकरण से पूर्व वापस लेगा । दिनांक 30/11/02 की बोर्ड बैठक में उक्त प्रस्ताव पर निम्न निर्णय लिया गया कि :–

"बोर्ड बैठक दिनांक 30/11/02 के मद संख्या–10 पर प्रस्तुत प्रस्ताव के भाग–'ख' के अनुसार कास्तकार की जमीन का अधिकतम 50 प्रतिशत ही कास्तकार को भूमि आवंटित की जा सकती है ।" इस आशय का एक प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनांक 13/1/06 में मद संख्या–14 पर बोर्ड के समक्ष रखा गया था जिसमें जिलाधिकारी, गाजियाबाद की अध्यक्षता में ए0डी0एम0 (एल0ए0) व सचिव, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया तथा समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्ताव सहित आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत की जानी थी । अपरिहार्य कारणों से आज तक समिति की बैठक नहीं हो सकी ।

अतः पुनः बोर्ड के समक्ष उपरोक्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा रहा है जिससे न्यायखण्ड–द्वितीय के भूखण्ड संख्या एन0के0–सेकेण्ड/275 से 281 व एन0के0–सेकेण्ड/304 से 310 के आवंटियों को भवन निमार्ण की समस्या के निराकरण हेतु खसरा नम्बर 1892/2642 ग्राम–मकनपुर क्षेत्रफल 1–7–0 बीघा भूमि का 50 प्रतिशत उपरोक्त बोर्ड बैठक दिनांक 30/11/02 के मद संख्या'–10 पर लिये गये निर्णय के कम में पुनः विचारार्थ एवं निर्णयानार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है तथा पूर्व बोर्ड बैठक दि0 13/1/06 में मद संख्या–14 पर लिये गये निर्णय के अनुसार गठित समिति जिलाधिकारी, गाजियाबाद, अपर जिलाधिकारी (भू0अ0) सिंचाई, गाजियाबाद व सचिव, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में अपर जिलाधिकारी (भू0अ0) सिंचाई, गाजियाबाद को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में बोर्ड बैठक में बुला लिया गया है ताकि विचार विमर्श कर प्रकरण का निस्तारण किया जा सके ।

अतः प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ व आदेशार्थ प्रस्तुत है ।

मद संख्या : 19

विषयः गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की वी0आई0पी0 वाहन व्यवस्था के सम्बन्ध मे ।

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में कुछ वाहन ऐसे हैं, जो कार्यहित तथा विभागहित में वी0 आई0 पी0 व्यवस्था में पूर्व से ही लगे हुए हैं तथा इनके रख–रखाव व पी0 ओ0 एल0 का व्यय प्राधिकरण द्वारा ही वहन किया जाता है । इन वाहनों का विवरण निम्न प्रकार है :–

1–	यू0पी0 14 क्यू–7272 एम्बेस्डर	श्री चन्द्रमा प्रसाद, सचिव माननीय मुख्य मन्त्री कार्यालय, उ0प्र0, लखनऊ
2–	यू0पी0 14 वाई–6597 जिप्सी	तदैव
3–	यू0पी0 14 वाई–4875 जिप्सी	श्री शैलेन्द्र यादव ललई माननीय राज्य मन्त्री आवास, उ0प्र0 लखनऊ ।
4–	यू0पी0 14 एई–2727 एम्बेस्डर	आवास सचिव,उ0प्र0 शासन, लखनऊ ।

पूर्व में एक टैक्सी विभागीय हित में जिलाधिकारी गाजियाबाद को प्राधिकरण के भू–अर्जन व प्रवर्तन अनुभाग के कार्यो में सहयोग हेतु दिनांक 1–1–2005 से 20–4–2006 तक उपलब्ध कराई गयी थी, जो दिनांक 20–4–2006 को हटा दी गयी है, उक्त सभी वाहनों के आवंटन की कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त किये जाने हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ/ अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है ।

मद सं0 : 20

विषय : श्री वी0पी0एस0 चौहान प्रभारी निरीक्षक पुलिस गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को भूखण्ड आवंटन के सम्बन्ध में ।

श्री वी0पी0एस0 चौहान प्रभारी निरीक्षक पुलिस गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में दिनांक 9–4–02 से प्रतिनियुक्ति के आधार पर तैनात हैं । श्री चौहान द्वारा सुरक्षा अनुभाग का कार्य एवं प्रवर्तन सम्बन्धी कार्यो को पूर्ण निष्ठा एवं लगन के साथ किया जाता है। श्री चौहान द्वारा कुख्यात एवं दुर्दान्त अपराधी श्रीप्रकाश शुक्ला व उसके दो प्रमुख सहयोगियों को मुठभेड़ में मारने के कारण पुलिस के सर्वोच्च अलंकरण राष्ट्रपति के वीरता पुलिस पदक से सम्मानित किया गया । श्री चौहान के श्रेष्ठ कार्यो के लिये भारतीय रेल विभाग द्वारा वातानुकुलित दर्जा–।। में दो व्यक्तियों हेतु असीमित दूरी हेतु आजीवन निःशुल्क यात्रा पास जारी किया है । इण्डियन एयर लाईन्स में यात्रा करने पर आजीवन 75 प्रतिशत की छूट दी गयी है, भारतीय दूरसंचार विभाग द्वारा एक टेलीफोन कनेक्शन किराया मुक्त आजीवन हेतु प्रदान किया गया है। इसी प्रकार उ0प्र0 के परिवहन विभाग द्वारा आजीवन असीमित यात्रा हेतु निःशुल्क पास जारी किया गया है । श्री चौहान द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके पास कोई भवन एवं भूखण्ड नही है अतः प्राधिकरण द्वारा उन्हे एक भूखण्ड प्राथमिकता के आधार पर आवंटित कर दिया जाये जिसका भुगतान उनके द्वारा नियमानुसार किया जायेगा ।

अतः उपरोक्तानुसार प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।

मद संख्या : 21

विषय : प्राधिकरण की अर्जित ग्राम मोरटा व रसूलपुर याकूतपुर की भूमि पर स्थापित शिवा कंक्रीट एवं अन्य इकाइयों की भूमि के संबंध में।

औद्योगिक विकास आयुक्त उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 22.06.06 को मेरठ मण्डल में औद्योगिक औद्योगिक बोर्डो के बिन्दु (4) पर मैसर्स शिवा कंकरीट प्रोडक्ट ग्राम मोरटा मेरठ रोड़ गाजियाबाद को औद्योगिक इकाई की भूमि को गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की भूमि को अर्जन से मुक्त कराने हेतु धारा 4(1) व 6/17 के नोटिफिकेशन जारी कराये जाने के संबंध मे निर्णय हुआ कि **"समिति को सूचित किया गया है कि औद्योगिक इकाई की जमीन का अधिग्रहण आवासीय योजना के अन्तर्गत नही किया जा सकता। परन्तु जनहित में यदि आवश्यक हो तो उद्योग निदेशक की अनुमति के उपरान्त ही अधिग्रहण किया जा सकता है। इस बारे में यह निर्णय लिया गया है कि शासनादेश** दिनांक **27.05.04 की प्रतिलिपि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को भेज दी जाये। संस्तुति की गई कि जी0डी0ए0/जिलाधिकारी गाजियाबाद इस बारे में प्रस्ताव पारित करके अपनी संस्तुति आवास विभाग को भेजें और आवास विभाग/जी0ओ0 27.05.04 के आलोक्य में एक माह में निर्णय करें।"** (संलग्नक–1)

उल्लेखित शासनादेश संख्या **703**/1–13–2004–8–(3)/2004–सं0–13 दिनांक 27.05.04 प्रदेश की **"औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र निवेश नीति, 2004"** के अन्तर्गत अवस्थापना सुविधाओं एवं उसके सदृश सेवा क्षेत्र को दिये जाने वाले प्रोत्साहन/लाभ के संबंध में है। जिसके प्रस्तर–2 में उल्लेख है कि **"औद्योगिक इकाईयों द्वारा भविष्य में विस्तारीकरण हेतु व्यवस्थित भूमि** अधिग्रहण कराये जाने से उद्योगों का विस्तारीकरण रूक जाता है तथा **उद्यमियों समय तथा धन भूमि अवमुक्त** कराने हेतु अपव्यय होता है। अतएव एतदपश्चात भूमि का अधिग्रहण **नही किया जायेगा। इस संबंध यदि** संस्था के पास आवश्यकता से अधिक भूमि है तथा भूमि अधिग्रहित किया जाना जनहित में आवश्यक हो तो उद्योग निदेशक से आवश्यकता न होने का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद **ही अर्जन की कार्यवाही प्रारम्भ की जाये।"** (संलग्नक–2)

मैसर्स शिवा कंकरीट उद्योग के प्रकरण मे काफी प्रगति हो चुकी है, जो निम्नानुसार है :–

1. मैसर्स शिवा कंक्रीट उद्योग में ग्राम मोरटा के खसरा नंबर 1265 व 1267 की 0.4098 हे0 भूमि आती है तथा ग्राम रसूलपुर याकूतपुर के खसरा नंबर 14 की 1.971 हे0 भूमि आती है।

2. प्राधिकरण की मधुबन एवं बापूधाम योजना हेतु ग्राम रसूलपुर याकूतपुर के अर्जन हेतु प्राधिकरण की 30.11.02 को हुई 89वीं बोर्ड बैठक तथा ग्राम मोरटा के अर्जन हेतु प्राधिकरण की 92वीं बोर्ड बैठक में निर्णय लिया गया। दोनों ग्रामों के अर्जन प्रस्ताव जिलाधिकारी दिनांक 07.02.04 को प्रेषित किये गये थे जिनकी धारा 4(1)

दिनांक 16.10.04 तथा 6 / 17 दिनांक 28.10.05 को हुई। प्राधिकरण द्वारा ग्राम मोरटा एवं रसूलपुर याकूतपुर का कब्जा 18.05.06 को प्राप्त कर लिया गया है।

3. दिनांक 14.01.05 को अनुसचिव आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 ने अपने पत्र द्वारा मैसर्स शिवा कंकरीट के प्रत्यावेदन पर प्राधिकरण से आख्या मांगी गइ। इसके पश्चात विभिन्न प्रत्यावेदन शासनस्तर के माध्यम, उद्योग बन्धु के माध्यम से प्राधिकरण को प्राप्त को प्राप्त हुये। जिनका उत्तर प्राधिकरण द्वारा प्रेषित किया गया।

4. प्राधिकरण के नियोजन अनुभाग द्वारा **"उक्त खसरा नम्बरों के विषय में अपनी आख्या दी है जिसके अनुसार उक्त खसरा नंबरों की भूमि का भू–उपयोग मास्टर प्लान 2001 व 2021 के अनुसार हल्का उद्योग है, चूंकि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की प्रस्तावित मधुबन एवं बापूधाम मुख्य प्रवेश दिल्ली मेरठ से दिया जाना है इस लिये उक्त क्षेत्र का अर्जन प्रस्ताव बनाया गया है।"**

5. गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा अर्जन प्रस्ताव में ग्राम मोरटा के खसरा नंबर 1265, 1267 व ग्राम रसूलपुर याकूतपुर के खसरा नंबर 14 में शासन को भेजे जाने वाले प्रस्ताव के साथ संलग्न परिसम्पत्ति सूची में दर्शित मोरटा 1265 एम. में 748'X8'X9" बाउन्ड्रीवाल, एक हैण्डपम्प, 150'ल0X3' गहरी बुनियाद 282'X8'X9' बाउन्ड्रीवाल,10'X12'X12' एक कमरा पक्का। 1267 में लगभग 250'X100' में कन्सट्रक्शन रवि मोहन एण्ड कम्पनी का आफिस पेट्रोलियम का डिपो, 1269 में 105'X50' में न्यूकोन कन्सट्रक्शन इण्डियन लेबोरेटरी, दो दुकाने, 35'X30' छत गाटर पटिया खस्ता हालत में 100'X180' की दो दीवारें,दो कमरे, 34'X9'X9' छत टीन सेट, एक आफिस 60'X30'X12' छत लैटंर 1271 एम। तथा रसूलपुर याकूतपुर 14, 15 एक पानी की टंकी बन्द खस्ता हालत में है। 5 कमरे 65X50X15', 5 कमरे 15X10X10', एक कमरा 8X9X7' पूर्ण क्षेत्रफल के चारों तरफ 6' ऊंची बाउण्ड्रीवाल।

6. शासन द्वारा अपने पत्र संख्या 2136 / 8–3–06–12 एल0ए0 / 05 दिनांक 27.06.06 के द्वारा शिवा कंक्रीट के प्रकरण में निर्णय लिया गया है कि **"उक्त भूमि को अर्जन मुक्त किये जाने का कोई औचित्य नहीं पाया गया है।"**(संलग्नक–3)

7. प्रश्नगत भूमि पर प्रार्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में एक रिट याचिका संख्या 68504 / 05 बिजेन्द्र कुमार बनाम जी0डी0ए0 दायर की गई है जिसमें न्यायालय द्वारा ग्राम मोरटा पर बने निर्माण को बेदखल न करने के आदेश दिये गये हैं तथा दूसरी रिट याचिका ग्राम रसूलपुर याकूतपुर की भूमि के संबंध में बिजेन्द्र कुमार बनाम जी0डी0ए0 माननीय उच्च न्यायालय में दायर की गई। जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश दिये गये हैं।

8. ग्राम मोरटा के खसरा संख्या 1265एम व 1267 की भूमि का कब्जा प्राधिकरण द्वारा दिनांक 18.05.06 में अपर जिलाधिकारी भू–अर्जन सिंचाई के कार्यालय से प्राप्त किया जा चुका है तथा ग्राम रसूलपुर याकूतपुर के

खसरा नंबर 14 पर माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश होने के कारण कब्जा प्राप्त नहीं किया गया है।

शिवा कंकरीट प्रोडक्ट के अतिरिक्त ग्राम मोरटा एवं रसूलपुर यांकूतपुर में स्थित अन्य कम्पनियों द्वारा भी प्राधिकरण द्वारा अर्जित की गई अपनी भूमि को संयुक्त रूप अर्जन से मुक्त कराने का अनुरोध किया गया है। जिनका विवरण संलग्न चार्ट में अंकित है। फर्मों द्वारा भी अपनी–अपनी भूमि को अर्जन मुक्त किए जाने का अनुरोध किया गया है। मैसर्स शिवा कंक्रीट उद्योग के अतिरिक्त भारत पेट्रोलियम, मैसर्स बीटा फाउन्डिंग, वार्ष्णेय इ0 इडस्ट्रीज, एसाम ज्योटिंग, जय बालाजी ट्रेडर्स, रवि मोहन एण्ड कम्पनी, न्यूकॉन लेबोट्ररी, बालाजी उद्योग के प्रत्यावेदन तथा उद्योग बन्धु से प्राप्त हुए हैं (संलग्नक–4)

संलग्न तालिका के अनुसार उपरोक्त फर्मों की भूमि की स्थिति निम्नवत् है :–

	शिवा कंक्रीट क्षेत्रफल (हे0 में)	**अन्य 8 फर्म क्षेत्रफल (हे0 में)**
1. स्थगनादेश से प्रभावित होने के कारण जिस भूमि का प्राधिकरण को कब्जा प्राप्त नहीं हुआ।	1.971	2.5755
2. प्राधिकरण द्वारा फर्म की कब्जा प्राप्त भूमि	0.4098	0.7908
कुल प्रभावित भूमि –	**2.3808**	**3.3663**

औद्योगिक विकास आयुक्त की बैठक के कार्यवृत्त तथा उद्योग बन्धु/प्रत्यावेदन के क्रम में प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

मोरटा व रसूलपुर याकूतपुर की अधिग्रहित भूमि जिसका भू-उपयोग महायोजना 2021 में हल्का उद्योग दर्शाया गया है। जिसको निम्न इकाइयों द्वारा अर्जन से मुक्त करने की प्रार्थना की गई है जो निम्नवत् है :

ग्राम - मोरटा				ग्राम - रसूलपुर याकूतपुर				
फर्म / भू-स्वामी का नाम	खसरा नंबर	क्षेत्रफल हे0 में	प्राधिकरण को भूमि का कब्जा प्राप्त हुआ / नही	माननीय उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका संख्या	फर्म / भू-स्वामी का नाम	खसरा नंबर	क्षेत्रफल हे0 में	कब्जे की स्थिति
शिवा कंकरीट प्रोडेक्ट बिजेन्द्र कुमार	1265 1267	0.3658 0.044	हां	........../05	शिवा कंकरीट प्रोडेक्ट बिजेन्द्र कुमार	14	1.971	नही
...मेटेलिक्स ...न्द्र कुमार त्यागी	1265 1267	0.1094 0.016	हां	........../05	मैसर्स बीटा फाउन्डिंग आर0 के0 जिन्दल	15	1.628	नही
मैसर्स बीटा फाउन्डिंग आर0 के0 जिन्दल	1265 1268	0.2931 0.042	नही					
...इन्डस्ट्रीज ...न्द्र कुमार वार्ष्णेय	1265 1269	0.0674 0.0886	हां					
...न्याइटिंग ...न्द्र कुमार	1265 1269	0.139 0.0380	हां					
...बालाजी ट्रेडर्स ...महेश प्रसाद गुप्ता	1265 1268	0.5704 0.042	नही					
...टि मोहन एण्ड कम्पनी ...टि कौशी वासदेव	1265 1267	0.1094 0.016	हां					
न्यूक्लोन लेबोरेट्री ...रीश पंकज, नवीन	1268	0.042	हां					
बालाजी उद्योग ...जीव कुमार संजयकुमार	1271	0.165	हां					

औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न दिनांक 22-06-06 को मेरठ मण्डल में क्षेत्रीय औद्योगिक गोष्ठी का कार्यवृत्तः-

बैठक का शुभारम्भ इण्डियन इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन, मेरठ चैप्टर, मेरठ के अध्यक्ष द्वारा औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0शासन, लखनऊ, अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, लखनऊ, प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0राज्य औद्योगिक विकास निगम, कानपुर, मण्डलायुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ एवं प्रान्तीय अध्यक्ष, आई0आई0ए0 तथा अन्य पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। तत्पश्चात् अपर आयुक्त उद्योग, मेरठ द्वारा बैठक का एजेंडा प्रस्तुत किया गया :-

क्र0	इकाई का नाम/पता एवं समस्या 2	विचार-विमर्श/ निर्णय 3
1	मै0 ग्रासीम इण्डस्ट्रीज लि0, आहुरा सेंटर, 1-फ्लोर, महाकाली केव्स रोड़, अंधेरी ईस्ट, मुम्बई। समस्याः-	
	1-सीमेंट इकाई की स्थापना हेतु 66 एकड़ भूमि अधिग्रहण हेतु धारा 6(1)/17 की विज्ञप्ति निर्गत हो चुकी है, का कब्जा दिलायें जाने के सम्बन्ध में।	समिति द्वारा यह संस्तुति की गई कि जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर एवं उ.प्र. राज्य औद्योगिक विकास निगम भूमि का कब्जा दिये जाने एवं लीज डीड निष्पादित कराये जाने के सम्बंध में अगले 15 दिन में कार्यवाही करें। कार्यवाही : जिलाधिकारी, गौतमबुद्ध नगर/यू.पी.एस.आई.डी.सी.
	2-ग्राम-सलेमपुर काला की 0.5078 एकड़, ग्राम-दादूपुर खताना की 3.1934 एकड़ तथा ग्राम-रनौली लतीफपुर की 0.9374 एकड कुल भूमि 4.6386 एकड पुर्नग्रहण कराये जाने के सम्बन्ध में।	संस्तुति की गई कि भूमि दर के संशोधन के मामले अगले 15 दिन में कार्यवाही की जाए। कार्यवाही : मण्डलायुक्त/ राजस्व विभाग
	3-एन0टी0पी0सी0 की फलाईऐश के यातायात हेतु सम्पर्क मार्ग निर्माण करने हेतु 1.3025 हेक्टियर भूमि का अधिग्रहण तथा 0.0854 हेक्टियर भूमि का पुर्नग्रहण यू0पी0एस0आई0 डी0सी0 के माध्यम से कराया जाना।	अधिग्रहित भूमि की लीज डीड को पुर्नग्रहित भूमि की लीज डीड के कारण रोका न जाये। पहले अधिग्रहित भूमि की लीजडीड कर दी जाये तत्पश्चात् पुर्नग्रहित भूमि की लीजडीड करने की संस्तुति की गई। कार्यवाही : यू.पी.एस.आई.डी.सी./ राजस्व विभाग

2.	**मै0 गुजरात अम्बुजा सीमेंट लि0, 248-ओखला औद्योगिक आस्थान, फेस-3, नई दिल्ली-110030** समस्याः- 1-जनपद गौतमबुद्धनगर में सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना हेतु भूमि 94 एकड़ की लीजडीड निस्पादित कराकर भूमि का कब्जा कम्पनी को तत्काल दिलायें जाने सम्बन्ध में। 2-ग्राम-बदपुरा के 0.2212 हेक्टियर भूमि की धनराशि कम्पनी द्वारा जमा करायें जाने तथा ग्राम-बदपुरा की शेश भूमि तथा ग्राम-धूममानिकपुर की भूमि का पुर्नग्रहण आदेश राजस्व विभाग से जारी करायें जाने के सम्बन्ध में। 3--एन0टी0पी0सी0 की फलाईऐश के यातायात हेतु सम्पर्क मार्ग निर्माण करने हेतु जिला-गौतमबुद्धनगर की 1.3879 हेक्टियर भूमि का अधिग्रहण तथा पुर्नग्रहण करायें जाने के सम्बन्ध में।	समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि जिलाधिकारी, गौतम... एवं उ.प्र. राज्य औद्योगिक विकास निगम भूमि का कब्जा ... एवं लीज डीड निष्पादित कराये जाने के सम्बंध में आगामी ... में सम्मिलित रूप से तत्काल कार्यवाही करें। कार्यवाही : जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर/यू.पी.एस.आई.डी... जिलाधिकारी, गौतमबुद्ध नगर, शासन स्तर से पैरवी ... कार्यवाही करायें जो सूचना उनके स्तर से भेजी जानी है ... दिन में भेज दें। -तदैव- कार्यवाहीः जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर
3.	मै0 गेल इण्डिय लि0, जी-10/8, पदमदीप टॉवर, तृतीय-तल, संजय प्लेस, आगरा-282002 समस्याः- गैस पाइप लाईन एस0वी0-1 एवं एस0वी0-2 पर सम्पर्क मार्ग बनाये जाने हेतु 0.0486 हेक्टियर भूमि का भूमि अधिग्रहण करायें जाने के सम्बन्ध में।	इकाई के प्रतिनिधि उपस्थित न होने के कारण प्रश्नगत ... कोई निर्णय नही लिया जा सका।
4.	मै0 शिवा कंक्रीट प्रोडेक्ट, ग्राम-मोरटा, मेरठ रोड, गाजियाबाद। समस्याः- औद्योगिक इकाई की भूमि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के अर्जन से मुक्त कराये जाने हेतु धारा	समिति को सूचित किया गया कि औद्योगिक इकाइयों ... जमीन का अधिग्रहण आवासीय योजना के अर्न्तगत नही किया ...

F:\KKG\Minutes_22_06_06_IDC_Meerut-UB.doc

क्रमशः-

मै0 कैंसर चैरिटेबल सोसाइटी, जे-62, पटेल नगर, जनपद-गाजियाबाद-201001 समस्या:- 1-अस्पताल के निर्माण हेतु 10 प्रतिशत एफ0ए0आर0 के स्थान पर 30 प्रतिशत ग्राउण्ड कवरेज तथा 100 प्रतिशत एफ0ए0आर0 गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से अनुमन्य कराये जाने तथा भवन मानचित्र अनुमोदित कराये जाने के सम्बन्ध मे।	इकाई के प्रतिनिधि ने विस्तार पूर्वक अपनी समस्या से अवगत कराते हुये सूचित किया कि मास्टर प्लान में 30 प्रतिशत ग्राउण्ड फ्लोर एवं 100 प्रतिशत एफ.ए.आर. अनुमन्य करते हुये भवन का मानचित्र अनुमोदित कराया जाए। क्योंकि कैंसर चैरिटेबल सोसाइटी के पास जमीन की कमी के कारण सामाजिक कार्य हेतु कैंसर अस्पताल की स्थापना नही हो पायेगी। उन्होंने यह भी बताया कि जी.डी.ए. इस बारे में सहयोग नही कर रहा है। समिति द्वारा संस्तुति की गई कि इस मामले को आवास विभाग को संदर्भित करते हुये निर्णय कराया जाए। कार्यवाही : उद्योग बन्धु./ आवास विभाग

उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम :-

मै0 हम्द फूड्स प्रा0लि0, भूखण्ड सं0-44-45 एवं 65-66, मसूरी-गुलावटी रोड, औद्योगिक क्षेत्र, गाजियाबाद। समस्या:- 1-फ्रोजेन मीट की इकाई लगाये जाने हेतु अनुमति प्रदान किया जाना।	बैठक में उपस्थित प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास निगम, कानपुर द्वारा आश्वासन दिया गया कि इस मामले में इकाई को कब्जा देने की कार्यवाही अविलम्ब कर दी जायेगी। संस्तुति की गई कि प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. राज्य औद्योगिक विकास निगम स्वयं देखकर 15 दिन में मामला निस्तारित करायें। कार्यवाही : यू.पी.एस.आई.डी.सी.

क्रमशः-

	4 (1)/17 तथा धारा 6 (1)/17 के संशोधन जारी कराये जाने के सम्बन्ध में।	सकता है परन्तु जनहित में यदि आवश्यक हो तो ... की अनुमति के उपरान्त ही अधिग्रहण किया जा ... बारे में यह निर्णय लिया गया कि शासनादेश दिनांक 27 ... की प्रतिलिपि जी.डी.ए. को भेज दी जाए। संस्तुति की गई कि जी.डी.ए./जिलाधिकारी गाजियाबाद ... प्रस्ताव पारित करके अपनी संस्तुति आवास विभाग को ... आवास विभाग जी.ओ. 27.5.2004 के आलोक में ... निर्णय करे। <u>कार्यवाही : सचिव, आवास/जी.डी.ए./जिलाधिकारी, ...</u>
	आवास विभाग से सम्बन्धित समस्या :-	
5.	सर्वश्री अजय सिघंल व अनुज सिंघल, एल-451, शास्त्रीनगर, मेरठ। <u>समस्या:-</u> विधि विरूद्ध इकाई की चार दीवारी गिराये जाने की क्षतिपूर्ति मेरठ विकास प्राधिकरण से करायें जाने विषयक।	इसमें आवास विभाग द्वारा निर्णय लिया जाना है। संस्तुति ... कि आवास विभाग एक माह में निर्णय करे। <u>कार्यवाही : आवास विभाग</u>
6.	मै0 सेन्चुरी लैमनेटिंग कम्पनी लि0, ग्राम-अछेजा, दिल्ली रोड, पोस्ट-हापुड, जिला-गाजियाबाद। <u>समस्या:-</u> 1-हापुड पिलखुवा विकास प्राधिकरण द्वारा कम्पनी को आवंटित की गयी भूमि की रजिस्ट्री प्राधिकरण द्वारा इकाई के पक्ष में कराये जाने के सम्बन्ध में।	समिति को सूचित किया गया कि भूमि की रजिस्ट्री ... गयी है। यह मामला बैठक से समाप्त किये जाने की संस्तुति ...
	2-हापुड पिलखुआ विकास प्राधिकरण द्वारा छः एकड़ भूमि अधिग्रहित कराकर कम्पनी को आवंटित कराये जाने के सम्बन्ध में।	इस मामले में चर्चा नही हो सकी।
	3-कम्पनी के विस्तारीकरण हेतु प्राविधानित 3600 वर्ग भूमि आवास विभाग के अधिग्रहण से मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में।	इस मामले में चर्चा नही हो सकी।

समस्या:- 6 क. औद्योगिक क्षेत्र ग्रेटर नोएडा में पंचायत राज्य विभाग न वसूल किये जाने विषयक। विभाग: प्रबन्ध निदेशक/क्षेत्रीय प्रबन्धक, यू0पी0 एस0आई0डी0सी0, ग्रेटर नोयडा।	-शून्य- कार्यवाही : नोएडा एथॉरिटी/ ग्रेटर नोएडा एथॉरिटी
आई0आई0ए0, मेरठ चैप्टर, मोहकमपुर, मेरठ द्वारा प्रस्तुत औद्योगिक इकाईयों की समस्यायें	1- आई0आई0ए0 द्वारा प्रस्तुत समस्याओं पर अलग से विस्तार से चर्चा हुई, जिसमें जनपद मेरठ में एस0ई0जेड0 की स्थापना की विस्तृत जानकारी औद्योगिक विकास आयुक्त, महोदय द्वारा दी गयी और इस सम्बन्ध में एक नामित कन्सलटेंट मेरठ भेजे जाने तथा कन्सलटेंट द्वारा उद्यमियों तथा औद्योगिक संगठनों को एस0ई0जेड0 के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध कराते हुए जैम्स एण्ड ज्वैलरी तथा स्पोर्ट्स के लिए एस0ई0जेड0 प्रस्ताव तैयार कराये जाने की कार्यवाही किये जाने से अवगत कराया गया। 2- एस0ई0जेड0 की स्थापना के पश्चात आई0आई0ए0 द्वारा की गयी मांग जनपद मेरठ में कन्टेनर डिपो की स्थापना के सम्बन्ध में यह अवगत कराया गया कि जब निर्यातक इकाईयों को कन्टेनर डिपो की आवश्यकता होगी व स्वतः पूर्ण हो जायेगी।

समस्त मामलों पर विचारोपरान्त बैठक में समस्त उपस्थित सभी अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों एवं एसोसियेशन के सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुये बैठक सम्पन्न घोषित की गई।

(...न्द्र भूषण)
...ासी निदेशक

(अतुल कुमार गुप्त)
औद्योगिक विकास आयुक्त
उ.प्र. शासन।

विभाग:- उप श्रमायुक्त, नोयडा/ग्रेटर नोयडा।	
समस्या:- 3 क-बिक्री कर से सम्बन्धित कुलेसरा चैक पोस्ट को हटाने तथा मासिक रिटर्न की वजह से फार्म-31 न रोके जाने विषयक।	-तदैव-
विभाग: **उप आयुक्त, व्यापार कर, ग्रेटर नोयडा।**	
समस्या:- 4 क-ग्रेटर नोयडा, विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नोयडा द्वारा इस क्षेत्र के उद्यमियों को भूमि आवंटन में प्राथमिकता दिये जाने विषयक।	-तदैव-
विभाग:- **मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोयडा, विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नोयडा/ यू0 पी0 एस0 आई0 डी0 सी0, ग्रेटर नोयडा।**	
समस्या:- 5 क-नोयडा पॉवर कम्पनी द्वारा लगाये गये इलैक्ट्रोनिक मीटर की कार्यशीलता तथा गुणवत्ता में उत्पन्न हो रही अनियमितता को समाप्त किये जाने विषयक।	-तदैव-
ख-एन0पी0सी0एल0 द्वारा किसी भी उद्योग के खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही करने की समीक्षा हेतु समिति के गठन किये जाने विषयक।	-तदैव-
ग-विद्युत रोस्टिंग की सूचना विधिवत् उद्यमियों को पूर्व में दिये जाने विषयक।	-तदैव-
घ-ग्रेटर नोयडा में निजी विद्युत कम्पनी होने बावजूद हो रही विद्युत रोस्टिंग के कारण उद्योगों पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभाव को दूर किये जाने विषयक।	-तदैव-
विभाग: **नोयडा पॉवर कम्पनी, नोयडा।**	

संलग्नक -2

संख्या– ७०३/१–१३–२००४–८–(३)/२००४–रा०–१३

प्रेषक,

श्री कपिल देव,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

१. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
२. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।

राजस्व अनुभाग –१३

लखनऊ : दिनाँक 27 मई, २००४

विषय : **प्रदेश की "औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र निवेश नीति, २००४" के अन्तर्गत अवस्थापना सुविधाओं एवं उसके सदृश सेवा क्षेत्र को दिये जाने वाले प्रोत्साहन/लाभ के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश की औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र निवेश नीति, २००४ के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार ने निम्नवत प्रोत्साहन दिये जाने का निर्णय लिया है :–

१.१ अवस्थापना सुविधाओं के सदृश ही सेवा क्षेत्र के ऐसे उपक्रम जो निम्नलिखित श्रेणी में आच्छादित है तथा राज्य सरकार व केन्द्र सरकार के निर्धारित शर्तों एवं मानको को पूरा करते हों, के लिये भूमि का अधिग्रहण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है तो अध्याप्ति व्यय से भी छूट दी जायेगी :–

(क) प्रदेश के किसी भी भाग में स्थित निर्धारित सुविधाओं से युक्त मल्टी फैसिलिटी चिकित्सालय जिनकी स्थापित क्षमता न्यूनतम १०० बेड है, और जिनमें चिकित्सा सुविधाओं हेतु प्रयुक्त क्षेत्रफल निर्धारित सीमा से अधिक है ।

(ख) प्रदेश में स्थित निर्धारित सुविधाओं से युक्त अति विशिष्टता युक्त चिकित्सालय ;

(ग) विकास खण्ड मुख्यालय (जो जिला व तहसील मुख्यालय से भिन्न हो) पर स्थित निर्धारित सुविधाओं से युक्त ऐसे चिकित्सालय, जिनकी स्थापित क्षमता न्यूनतम ५० बेड की हो ।

..2/-

(घ) विकास खण्ड मुख्यालय से नीचे ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित निर्धारित सुविधाओं से युक्त ऐसे चिकित्सालय जिनकी स्थापित क्षमता न्यूनतम ३० बेड हो ।

(ङ) विकास खण्ड मुख्यालय (जो जिला मुख्यालय से भिन्न हो) पर स्थित एक तकनीकी / सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थान जिनमें शिक्षारत छात्रों / प्रशिक्षुओं की न्यूनतम संख्या-७५ हो और जिनमें चलाया जा रहा पाठ्यक्रम राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित हो ।

(च) निर्धारित सुविधाओं से युक्त तथा निर्धारित शर्तें पूर्ण करने वाले ऐसे मेडिकल / डेन्टल कालेज, अन्य शिक्षण संस्थायें, मल्टी प्लेक्स सिनेमाघर, शापिंग माल्स / इन्टरटेनमेंट सेंटर्स, जिनमें भवन और मशीनरी की कुल लागत रू० १० करोड़ से कम न हो ।

१.२ उपरोक्त संस्थाओं के लिए भूमि अधिग्रहण से पूर्व विषय से सम्बन्धित विभाग तथा चिकित्सा / शिक्षा / मनोरंजन कर के जिलास्तरीय प्रभारी अधिकारियों के समक्ष "प्रोजेक्ट प्लान" सहित प्रस्तुत किया जायेगा। उपरोक्तानुसार प्रस्तुत प्रोजेक्ट को सम्बन्धित अधिकारी अपनी संस्तुति सहित जिलाधिकारी को अग्रसारित करेंगे, जो ऐसे प्रस्तावों पर विचार कर अध्याप्ति व्यय से छूट प्रदान करने का निर्णय लेंगे। यदि प्रतिकर का अनुमोदन [illegible] या राजस्व परिषद के स्तर से होना हो तो इस छूट का अनुमोदन भी उसी स्तर से लिया जायेगा।

१.३ निर्दिष्ट प्रयोजनों हेतु भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही सम्पादित कर अर्जन निकाय को भूमि का कब्जा दिये जाने की तिथि से तीन वर्ष के भीतर निर्धारित प्रयोजन हेतु वास्तव में प्रयोग शुरू करना कम्पनी / संस्था के लिए अनिवार्य होगा। यदि तीन वर्ष उपरान्त भी ऐसा नहीं किया जाता है तो अर्जन व्यय की राशि एवं उस पर १५ प्रतिशत शास्ति शुल्क प्रतिवर्ष की दर से वसूल करते हुए नैसर्गिक न्याय की दृष्टि से सम्बन्धित कम्पनी / संस्था को लिखित में यह नोटिस दी जायेगी कि वे यदि दो वर्ष (कब्जा दिये जाने की तिथि से पाँच वर्ष) के अन्दर निर्धारित प्रयोजन के लिए उसका उपयोग नहीं करते है तो ऐसी समस्त भूमि सभी भारों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित कर दी जायेगी। इसके बावजूद यदि निर्धारित प्रयोजन के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाता है तो भूमि राज्य सरकार में निहित कर ली जाये।

२. औद्योगिक इकाईयों द्वारा भविष्य में विस्तारीकरण हेतु व्यवस्थित भूमि अधिग्रहण कराये जाने से उद्योगों का विस्तारीकरण रूक जाता है तथा उद्यमियों का समय तथा धन भूमि अवमुक्त कराने हेतु अपव्यय होता है। अतएव एतदपश्चात ऐसी भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जायेगा। इस सम्बन्ध में यदि संस्था के पास आवश्यकता से अधिक भूमि है तथा भूमि अधिग्रहीत किया जाना जनहित में आवश्यक

तो उद्योग निदेशक से आवश्यकता न होने का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद ही अर्जन की कार्यवाही प्रारम्भ की जाये।

उपरोक्त प्रोत्साहन/छूट तात्कालिक प्रभाव से अनुमन्य होंगे तथा शासन के अग्रिम आदेशों तक लागू रहेंगे।

भवदीय

(कपिल देव)
प्रमुख सचिव

संख्या– 703 (1)/1–13–2004 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

१. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ०प्र० शासन ।
२. औ०वि०आयुक्त एवं प्रमुख सचिव, औ०वि०उ०प्र० शासन को उनके अर्द्धशा०प०सं०–४९६/औ०वि०आ०/२००३–२००४/३०४० दिनांक १फरवरी, २००४ के कम में सूचनार्थ ।
३. प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उ०प्र० शासन ।
४. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन ।
५. निदेशक भूमि अध्याप्ति निदेशालय, राजस्व परिषद, उ०प्र०, लखनऊ।
६. समस्त विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, उ०प्र० को अनुपालनार्थ ।
७. राजस्व विभाग के समस्त अनुभाग ।
८. गार्ड फाइल हेतु ।

आज्ञा से,

(कपिल देव)
प्रमुख सचिव

संख्या–2136 / 8-3-06-12 ए.आर. / 2006

प्रेषक,

जी.पी.मिश्र,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशासी निदेशक,
उद्योग बन्धु।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 लखनऊ दिनांक 27 जून, 2006

विषय– शिवा कंक्रीट प्रोडक्ट ग्राम–मोरटा, गाजियाबाद स्थित भूमि को अधिग्रहण मुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक विशेष कार्याधिकारी उद्योग बन्धु के उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को सम्बोधित तथा सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन को पृष्ठांकित पत्र संख्या–3040/जी.बी.ए./06-07/1981, दिनांक 12-6-2006 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की आख्यानुसार प्रश्नगत भूमि के संबंध में भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा–4/17 की विज्ञप्ति दि0 16-10-2004 एवं 6/17 की विज्ञप्ति दि0 27-0-2006 को जारी की जा चुकी है तथा भूमि पर कब्जा लेने की कार्यवाही की जा रही है। योजना में भूखण्डों के आवेदन–पत्र भी भरे जा चुके हैं। ऐसी स्थिति में उक्त भूमि को अर्जन से मुक्त किया जाना सम्भव नहीं है। आख्या में यह भी अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत खसरा नम्बर से संबंधित भूमि के अर्जन हेतु भूमि का सर्वे वर्ष 2002 में कराया गया था। उस समय प्रश्नगत भूमि पर फैक्ट्री स्थापित नहीं थी। अर्जन प्रस्ताव नियमानुसार किया गया है और उक्त भू–भाग में निर्मित सम्पत्ति का उल्लेख सम्पत्ति सूची में दर्शाया गया है। प्राधिकरण की प्रस्तावित मधुवन, बांपूधाम योजना का मुख्य प्रवेश दिल्ली–मेरठ रोड से दिया जाना है। अतः उक्त क्षेत्र का अर्जन प्रस्ताव बनाया गया है। प्राधिकरण द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत भूमि/योजना हेतु ले–आउट प्लान बनाने का

G.O.(142)

कार्य प्रगति पर है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा अवगत करायी गयी उक्त स्थिति के आधार पर प्रश्नगत भूमि को अर्जनमुक्त किये जाने का औचित्य नहीं पाया गया है।

भवदीय,

(जी.पी.मिश्र)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को विशेष कार्याधिकारी उद्योग बन्धु के संदर्भित पत्र दि0 12–5–2006 के कम मे सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(जी.पी.मिश्र)
विशेष सचिव।

098395 60394

67

सेवा में,
उपाध्यक्ष,
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण,
गाजियाबाद।

विषय: गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की प्रस्तावित मधुवन आवासीय योजना में ग्राम मोरटा – रसुलपुर याकुतपुर में स्थापित नोन पोलुटिंग इकाईयों को अधिग्रहण से मुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

श्री अतुल कुमार गुप्ता (I.A.S.) औद्योगिक विकास आयुक्त एवं प्रमुख सचिव उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 22.06.2006 को इन्डियन इण्डस्ट्रीज एसोसियेशन के भवन मोहकमपुर मेरठ में उद्योग बन्धु की बैठक सम्पन्न हुयी है जिसमें गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के प्रतिनिधि के रूप में श्री S.P.S. राघव मुख्य अभियन्ता ने भी भाग लिया है बैठक में 1. शिवा क्रोकीट प्रोडक्ट, 2. भारत पैट्रोलियम लि0 3. रवी मोहन एण्ड कं0, 4. मोरटा ट्रेडिंग कं0 5. न्यूकोन लेवोट्रीज 6. एस्सम ज्वाइन्टिंग प्रा0 लि0 7. वार्ष्णेय इन्जीनियरिंग इण्डस्ट्रीज 8. श्री बाला जी उद्योग के सम्बन्ध में चर्चा हुयी है।

बैठक में उपस्थित उपरोक्त फैक्ट्रीयों के मालिकों ने माननीय अतुल गुप्ता औद्योगिक विकास आयुक्त से अनुरोध किया है कि हमारी फैक्ट्री ग्राम मोरटा, रसुलपुर – याकुतपुर में रेलवे लाईन – मेरठ रोड के बीच स्थापित है। जिनका जिला उद्योग केन्द्र में पंजीकरण हैं तथा प्रत्येक वर्ष व्यापार कर के रूप में उ0प्र0 सरकार को लाखों रूपया टैक्स का दे रहे है। और अनेक वर्षो से स्थापित फैक्ट्रीयों को गाजियाबाद विकास प्राधिकरण मधुवन आवासीय योजना में आवास बनाने हेतु अधिग्रहण कर रहा है। जबकि उपरोक्त फैक्ट्रीयों की भूमि गाजियाबाद के मास्टर प्लान 2001 एवं 2021 (जो शासन द्वारा स्वीकृत है) में उद्योग लगाने हेतु आरक्षित है।

5421 PRO
5-8-06

EE-LA

A.E.(LA)

Sri Saxena
Amin

Secy.
5/8/06

14/8/06
EE.1

08/06
A.E.(L.A)

68

बैठक मे उपस्थित गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के प्रतिनिधि श्री एस.पी.एस. राघव, मुख्य अभियन्ता ने माननीय अध्यक्ष को अवगत कराया कि रेलवे लाइन के पीछे ग्राम लालपुर याकुतपुर – सदरपुर की भूमि का अधिग्रहण मधुवन आवासीय योजना हेतु किया गया है उपरोक्त फैक्ट्रीयो की भूमि का अधिग्रहण इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मधुवन आवासीय योजना को मेरठ रोड़ से जोडा जाना है तथा इसी के साथ हापुड़ रोड को भी मेरठ रोड से जोडा जाना है।

विचार विमर्श के उपरान्त माननीय अध्यक्ष श्री अतुल कुमार गुप्ता आई.ए.एस. औद्योगिक विकास आयुक्त ने आदेश दिये कि उपरोक्त फैक्ट्रीयों का गाजियाबाद विकास प्राधिकरण आवासीय योजना अथवा सड़क बनाने हेतु अधिग्रहण नही कर सकता है क्योंकि इस सम्बन्ध मे श्री कपिल देव प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी शासन आदेश संख्या 703/01-13-2004-8 (3)/2004 राजस्व अनुभाग – 13 दिनांक 27.05.2004 के पृष्ठ-2 के पैरा 2 पर स्पष्ट प्राविधान है कि औद्योगिक इकाईयों की भूमि का आवासीय योजना हेतु अधिग्रहण नही किया जा सकता है। अतः गाजियाबाद विकास प्राधिकरण उपरोक्त फैक्ट्रीयों को तुरन्त अधिग्रहण से मुक्त करने की कार्यवाही करें। जहाँ तक मधुवन आवासीय योजना को मेरठ रोड़ से जोड़े जाने का प्रश्न है , गाजियाबाद विकास प्राधिकरण वही पर सड़क बनाये जहाँ पर मास्टर प्लान 2021 में सड़क प्रस्तावित है अथवा पुराने सड़के पर ही सडक बनाये जहाँ पर रेलवे फाटक भी वर्तमान में बना हुआ है।

इसी सम्बन्ध में श्री नरेन्द्र भूषण आई.एस.एस., अधिशासी निदेशक उद्योग बन्धु भी श्री शम्भू सिंह यादव विशेष सचिव , मुख्य मंत्री, उ0प्र0 शासन, जिलाधिकारी गाजियाबाद, उपाध्यक्ष गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद, सचिव आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को पत्र लिख चुके है कि राजस्व विभाग द्वारा जारी शासन आदेश के अनुसार उपरोक्त फैक्ट्रीयों का अधिग्रहण आवासीय योजना बनाने के लिए नही किया जा सकता।

अतः महोदय से प्रार्थना है कि उपरोक्त फैक्ट्रीयों की भूमि को गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की प्रस्तावित मधुवन योजना के भूमि अधिग्रहण से मुक्त करने की कृपा करें जिससे हमारी फैक्ट्रीयों में बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार मिलता रहे तथा हम उ0प्र0

सरकार को प्रत्येक वर्ष लाखों रूपये का व्यापार कर देते रहें एवं माननीय मुख्य मंत्री जी की इच्छा अनुसार उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में योगदान देते रहें।

धन्यवाद।

भवदीय

1. शिवा क्रोकीट प्रोडक्ट, एण्ड कं0. 2. भारत पैट्रोलियम लि0 3. रवी मोहन

4. बीटा ट्रेडिंग कं0 5. न्यूकोन लेबोट्रीज 6. एस्सम ज्वाइन्टिंग प्रा0 लि0

7. वाष्णेय इन्जीनियरिंग इण्डस्ट्रीज 8. श्री बाला जी उद्योग

प्रतिलिपि :— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :—

1. सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन बापू भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु माल एवेन्यू, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
4. सचिव, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।
5. मुख्य अभियन्ता, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।

~~190~~ 70

उ.ब./जी.सी.ए./06-07/2307

दिनांक : 13 जुलाई, 07

सेवा में,

जिलाधिकारी,
गाजियाबाद।

महोदय,

औद्योगिक विकास आयुक्त, एवं प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग की अध्यक्षता में मंडलीय उद्योग बन्धु की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में शिवा कंक्रीट प्रोडेक्ट, भारत पेट्रोलियम लि0, रवि मोहन एण्ड कंपनी, बीटा ट्रेडिंग कंपनी, न्यू क्रोन लैबोरेट्रीज लि0, एसाम ज्वाइटिंग प्रा0लि0, वाल्ने इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज तथा बालाजी उद्योग के प्रवर्तको द्वारा एक प्रत्यावेदन दिया गया है। जिसमें यह कहा गया कि इन उद्यमियों की फैकटरीयॉ ग्राम-मोरटा, रसूलपुर-याकूतपुर में रेलवे लाइन-मेरठ रोड बीच स्थापित है। यह क्षेत्र जहॉ पर इन उद्यमियों की फैक्टरियॉ स्थापित है तथा उद्योग के विस्तारीकरण के लिए भूमि भी प्राविधानित की गयी है को गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के मास्टर प्लान 2001 एवं 2021 में यह औद्योगिक भू-उपयोग दर्शाया गया है तथा इस संबंध में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा अनेक विज्ञापन प्रकाशित किये गये है कि इन क्षेत्रों में उद्योग लगाये जाय अखबार की कटिंग संलग्न है। आप अवगत है कि प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन के स्पष्ट शासनादेश संख्या-703 दिनांक 27.5.2004 निर्गत है कि औद्यागिक इकाइयों की विस्तारीकरण हेतु व्यवस्थिति भूमि तथा उद्योगो की भूमि का अधिग्रहण तब तक नही किया जायेगा, जब तक आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उ0प्र0 से यह प्रमाण-पत्र नही प्राप्त कर लिया जाता है इस भूमि की आवश्यकता उद्योगो के लिए नही है, प्रत्यावेदन की प्रति संलग्न तथा शासनादेश की प्रति संलग्न है।

औद्योगिक विकास आयुक्त की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि यदि आवासीय कालोनी के लिए रास्ते की आवश्यकता गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को हो तो जो रास्ते महायोजना-2021 में दर्शाये गये है उन्ही रास्तों का उपयोग किया जाय। इन उद्यमियों की भूमि का अधिग्रहण न किया जाय।

उद्योग बन्धु

...सी, माल एवेन्यू, लखनऊ–226 001 (उ.प्र.)
...: 2237582 व 2237583 फैक्स : (0522) – 2237345
...: ubup@rediffmail.com व bandhu@sancharnet.in
वेबसाइट : http://upgov.nic.in/indusdev
http://www.udyogbandhu.org

सहयोगी...
(उ०प्र० शासन का औद्यो...

अनुरोध है कि उपरोक्त उद्यमियों की भूमि जो मास्टर प्लान में औद्योगिक प्रयोजन हेतु दर्शाई गयी है और गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा विज्ञापन भी जारी किये गये है कि इस क्षेत्र में उद्योग लगाये जाय तथा अधिग्रहण के प्रस्ताव में सम्मिलित करने के पूर्व आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उ0प्र0 से प्रमाण-पत्र भी नही प्राप्त किया गया हैं। ऐसी स्थिति में अधिग्रहण प्रस्ताव में इन उद्यमियों की भूमि सम्मिलित करना किसी भी दशा में न्यायोचित नही है। अतएव औद्योगिक विकास की दृष्टिकोण से उपरोक्त क्षेत्र जो मास्टर प्लान में औद्योगिक दर्शाया गया है को अधिग्रहण से मुक्त कराने हेतु धारा 4(1)/17 तथा 6(1)/17 में संशोधन कराने की कृपा करे जिससे यह भूमि अधिग्रहण से मुक्त हो सके जिससे औद्योगिक विकास को बढावा मिलेगा।

भवदीय,

<u>संलग्नक</u> : <u>यथोक्त</u>

गोपाल चन्द 12.7.06

(गोपाल चन्द)
विशेष कार्यधिकारी
कृते-अधिशासी निदेशक

<u>प्रतिलिपि</u> :-

1- मडलायुक्त, मेरठ को उपरोक्त प्रत्यावेदन, शासनादेश की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2- उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद को औद्योगिक विकास आयुक्त द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन हेतु प्रेषित।

3- सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(गोपाल चन्द)
विशेष कार्यधिकारी
कृते-अधिशासी निदेशक

मोदीनगर एवं मुरादनगर विकास क्षेत्र में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की अवस्थापना निधि से विकास कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में।

मद संख्या :- 22

मोदीनगर एवं मुरादनगर विकास क्षेत्र में जनोपयोगी विकास कार्य को कराने हेतु गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की अवस्थापना निधि में उपलब्ध धनराशि से व्यय करने की अनुमति हेतु प्रस्ताव गत बोर्ड बैठक दिनांक 20/07/2006 में रखा गया था। बोर्ड द्वारा विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि जनोपयोगी प्रस्तावित विकास कार्यो की सूची एवं धनराशि का विवरण आगमी बोर्ड बैठक में रखा जायें। बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में कार्यो की सूची संलग्न करते हुए धनराशि का विवरण निम्नवत् है।

1– सीकरी कला से कपड़ा मिल गन्दे नाले तक नाले का निर्माण (पूरब) लम्बाई 6.0 किलो मीटर अनुमानित लागत रूपये 4.80 करोड़।

2– कपड़ा मिल गन्दे नाले से कादराबाद आई0डी0एस0टी0 तक नाले का निर्माण (पूरब) लम्बाई 3.90 किलो मीटर अनुमानित लागत रूपये 3.12 करोड़।

3– सीकरी कला से मोदीनगर पेपर मिल होते हुए कपड़ा मिल गन्दे नाले तक नाले का निर्माण लम्बाई 5 किलो मीटर अनुमानित लागत रूपये 4.00 करोड़।

4– मोदीनगर विकास क्षेत्र अन्तर्गत विभिन्न कालोनियों एवं मुहल्लों में नाली सड़कों आदि का विकास कार्य अंनुमानित लागत रूपये 3.00 करोड़।

प्रस्ताव

220 के0वी0 सब स्टेशन के लिये छिजारसी हिन्डन पुल के समीप लगभग 10 एकड़ भूमि एवं निर्माण व्यय की अदायगी यू.पी.पी.सी.एल. को किये जाने के संबंध में ।

इन्दिरापुरम योजना मे विद्युत आपूर्ति सुचारू रूप से बनाये रखने के लिये इस योजना मे 220 के.वी. सब स्टेशन आंकलित विद्युत भार के अनुरूप निर्मित कराया जाना आवश्यक है जिसके लिये लगभग 12 एकड़ भूमि एवं 40 करोड़ रूपये निर्माण व्यय की आवश्यकता होगी । विद्युत आपूर्ति कोड 2005 नियामक आयोग द्वारा जारी किया गया है इसमे स्थिति स्पष्ट नही है कि प्राधिकरण विद्युत जनरेशन से लेकर विद्युत सब स्टेशन जिसमे 400 के0वी0, 220 के0वी0, 132 के0वी0, 33 के0वी0 एवं एल0टी0 नेटवर्क तथा ट्रान्समिशन लाईने किस स्तर तक की निर्मित कराये । इस पर निर्णय कराने के लिये सचिव आवास उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता मे दिनांक 03.07.06 को बैठक की गई । बैठक का कार्यवृत्त संलग्न है जिसमे निर्णय लिया गया है कि 12 एकड़ के स्थान पर 10 एकड़ भूमि एवं इसके निर्माण मे होने वाले व्यय भार को प्राधिकरण वहन करेगा किन्तु इसे उधारण न माना जाये, इस सब स्टेशन से भविष्य मे उ0प्र0पा0का0लि0 द्वारा प्राधिकरण के अलावा अन्य किसी को विद्युत संयोजन निर्गत नही किये जायेंगे । विद्युतीकरण के कार्यो का स्तर निर्धारित करने के लिये निर्णय लिया गया कि प्रश्नगत प्रकरण के समयक निस्तारण हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक करायी जाये जिसमे भूमि की उपलबधता निर्माण संबंधी समस्त बिन्दुओं पर स्पष्ट नीति निर्धारित की जा सके, जो समान रूप से समस्त विकास प्राधिकरणों तथा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद पर लागू किया जा सके ।

220 के0वी0 सब स्टेशन के लिये इतना बड़ा भू-भाग रिक्त इन्दिरापुरम क्षेत्र में उपलब्ध नही है। इसके लिये हिन्डन नदी के पुल (छिजारसी) के समीप आवास विकास की अटल आवासीय योजना से लगी, हिन्डन नदी के किनारे नगर निगम की लगभग 10 एकड़ भूमि क्रय कर ली जाये, जिसे प्राधिकरण उ0प्र0पा0का0लि0 को निःशुल्क उपलब्ध करायेगा । इस सब स्टेशन की क्षमता 2x160 एम.वी.ए. होगी । इसके निर्माण पर आने वाले व्यय रू0 40.00 करोड़ का भी भुगतान उ0प्र0पा0का0लि0 को प्राधिकरण द्वारा करना होगा । इसे उर्जीकृत करने के लिये निर्मित कराये जाने वाली ट्रान्समिशन (टावर) लाईनों का व्यय उ0प्र0पा0का0लि0 स्वयं वहन करेगा । प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित क्षेत्रों/कालोनियों में विद्युत व्यवस्था के संबंध में दिनांक 03.07.06 को सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त

बैठक में उपस्थित अधिकारीगण :–

क्र	नाम/पदनाम	विभाग का नाम
1	श्री वेणी प्रसाद, विशेष सचिव	ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2	श्री एस.एन. यादव, डी.जी.एम.	यू.पी.पी.सी.एल., गाजियाबाद।
3	श्री रमेश चन्द्र मिश्र, सचिव	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद
4	श्री एस.पी.एस. राघव, मुख्य अभियंता	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद
5	श्री आर.एस. शर्मा, अधिशासी अभियंता (विद्युत)	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद

2– बैठक की कार्यवाही के प्रारम्भ में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि प्रदेश में कार्यरत 24 प्राधिकरणों में विद्युत विभाग द्वारा जारी बोर्ड आदेश दिनांक 17–1–84 तथा दिनांक 18–1–89 में यह प्राविधान था कि 33 के0वी0 सब स्टेशन लाईन, मेन्ट्री तथा 11 के0वी0 लाईन, एल0टी0 सब स्टेशन व एल0टी0 लाईन के निर्माण का कार्य विकास प्राधिकरण द्वारा करने के उपरान्त यू0पी0एस0ई0बी0 (वर्तमान में यूपीपीसीएल) को हस्तान्तरित किये जायेगें जिसके लिये व्यय की गयी धनराशि का 5 प्रतिशत सुपरविजन चार्ज भी देने होगें। बोर्ड के उक्त आदेशों के अतिरिक्त आदेश संख्या–548 दिनांक 24–4–98 जारी किया गया जो सार्वजनिक प्रतिष्ठानों तथा निजी बिल्डर्स एवं प्रमोटरो के संबंध में था। इस आदेश में पूर्व में जारी किये गये बोर्ड के आदेशों को न तो अतिकमित किया गया और न ही प्राधिकरणों के संबंध में इसमें कोई दिशा निर्देश दिये गये, इसलिये यह प्राधिकरणों पर लागू नहीं होता है।

3– प्राधिकरण द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि निर्मित परिक्षेत्रों में एक बिन्दु पर विद्युत कनेक्शन दिये जाने के लिए नियामक आयोग द्वारा जारी विद्युत सप्लाई कोड–2005 में यह प्राविधान है कि विद्युत भार के अनुरूप 132केवी/220 केवी विद्युत उपस्थान का निर्माण व्यय तथा 5 प्रतिशत सुपरविजन चार्ज के स्थान पर 15 प्रतिशत सुपरविजन चार्ज लेकर विद्युत संयोजन दिये जायेंगे।

विद्युत व्यवस्था के लिए जारी विद्युत सप्लाई कोड–2005 में यह स्पष्ट नहीं है कि प्राधिकरणों द्वारा यदि स्वयं के लिए भवन/काम्पलेक्स निर्मित किये जाते हैं, तो उनमें स्वयं के नाम से कनेक्शन लेने पर सप्लाई कोड–2005 लागू होगा अथवा प्राधिकरणों द्वारा विकसित किये गये भवन/भूखण्ड जो आवंटियों को विक्रय किये जाते हैं, में आवंटियों द्वारा अपने नाम से विद्युत संयोजन लिए जाने की दशा में विद्युत सप्लाई कोड–2005 लागू होगा अथवा नहीं ? प्राधिकरणों द्वारा विद्युत उत्पादन से लेकर विद्युत पारेषण, वितरण पर आने वाला कितना व्यय भार वहन किया जायेगा ?

यूपीपीसीएल द्वारा की जा रही माँग के अनुसार 132 केवी / 220 केवी / 400 केवी सब स्टेशन के लिए क्रमशः 6, 12 व 50 एकड़ भूमि प्राधिकरण द्वारा निःशुल्क दी जाय, जिनकी कीमत लगभग क्रमशः रू. 24 करोड़, रू. 48 करोड़ तथा रू. 200 करोड़ प्राधिकरण द्वारा बतायी गयी है। इसके अतिरिक्त निर्माण व्यय क्रमशः लगभग रू. 15 करोड़, 25 करोड़ तथा 50 करोड़ आने की सम्भावना है।

उक्त तथ्यों को अध्यक्ष द्वारा ऊर्जा विभाग के अधिकारियों से स्पष्ट करने की अपेक्षा की गयी, परन्तु उनके द्वारा विद्युत सप्लाई कोड–2005 की छायाप्रति उपलब्ध कराते हुए विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी विद्युत सप्लाई कोड–2005 के अनुरूप प्राधिकरणों द्वारा कार्यवाही किये जाने पर बल दिया गया। विद्युत सप्लाई कोड–2005 में स्पष्ट उल्लेख नहीं है कि प्राधिकरणों द्वारा किस स्तर तक के कार्यों का व्यय–भार वहन किया जायेगा।

4– बैठक के दौरान इस बिन्दु पर भी चर्चा की गयी कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की इन्दिरापुरम् योजना पूर्व में विक्रय कर विकसित की जा चुकी है। प्राधिकरण बोर्ड में लिये गये निर्णय के अनुसार 33केवी तक के विद्युत नेटवर्क का कार्य कराने की कार्यवाही प्राधिकरण द्वारा की जा रही है, परन्तु यूपीपीसीएल द्वारा 33केवी उपस्थानों का ऊर्जीकरण यह कहकर नहीं किया जा रहा है कि प्राधिकरण 220 केवी उपस्थान का निर्माण कार्य अपने व्यय पर कराया जाना सुनिश्चित करें।

5– इसी संदर्भ में प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि लगभग रू. 07 करोड़ की धनराशि का भुगतान यूपीपीसीएल को उनके द्वारा पूर्व निर्मित 132केवी / 220केवी उपस्थानों की क्षमतावृद्धि के लिए किया जा चुका है। इन्दिरापुरम् में अधिकाँश आवंटी / विकासकर्ता भवन निर्माण कर चुके हैं। विद्युत समस्या को दृष्टिगत रखते हुए गाजियाबाद विकास प्राधिकरण इस बिन्दु पर सहमत है कि 220केवी उपस्थान का निर्माण 12 एकड़ के स्थान पर 10 एकड़ में बनाने तथा निर्माण में होने वाले व्यय भार का वहन प्राधिकरण करेगा, किन्तु इसे उदाहरण न माना जाय तथा इस उपस्थान से भविष्य में यूपीपीसीएल द्वारा प्राधिकरण की योजनाओं के अतिरिक्त किसी अन्य को विद्युत संयोजन नहीं दिया जायेगा।

6– बैठक में विचार–विमर्श के उपरान्त मत स्थिर न होने के दृष्टिगत निर्णय लिया गया कि प्रश्नगत प्रकरण के सम्यक् निस्तारण हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक करायी जाय, जिसमें भूमि की उपलब्धता / निर्माण संबंधी समस्त बिन्दुओं पर स्पष्ट नीति निर्धारित की जा सके, जो समान रूप से समस्त विकास प्राधिकरणों तथा उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद पर लागू किया जा सके।

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई

के.एल. मीना
सचिव

उत्तर प्रदेश शासन
आवास एवंशहरी नियोजन अनुभाग–1
संख्या : 3943 /आठ–1–671डीए/98
लखनऊ : दिनाँक : 1 जुलाई, 2006

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रबन्ध निदेशक, यू.पी.पी.सी.एल, उत्तर प्रदेश।
3. उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(शिव जनम चौधरी)
अनुसचिव

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।

(टिप्पणिया एवं आदेश)

उपाध्यक्ष / अध्यक्ष महोदय

कृपया गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की 107वीं बोर्ड बैठक दिनाँक 26-8-2006 का कार्यवृत्त तैयार कर दिया गया है । कृ0 अनुमोदनोपरान्त हस्ताक्षर करने की कृपा करें ।

HC.4z4ana

(आर0सी0मिश्र)
सचिव

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनॉक 26–8–2006 का कार्यवृत्त

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की 107वीं बोर्ड बैठक दिनॉक 26–8–2006 को सम्पन्न हुई जिसमें अध्यक्ष के अतिरिक्त निम्नलिखित सदस्यों द्वारा भाग लिया गया ।

1– श्री डी0पी0सिंह, उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
2– श्री एस0बी0तिवारी, अपर जिलाधिकारी(भू अर्जन) जिलाधिकारी, गाजियाबाद के प्रतिनिधि
3– श्री वी0के0 यादव, नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद
4– श्री वी0विक्रमादित्य, अधीक्षण अभियन्ता ,उ0प्र0जल निगम, गाजियाबाद – प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ के प्रतिनिधि
5– श्री राकेश यादव, गैर सरकारी सदस्य, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
6– श्री फिरेराम प्रजापति, गैर सरकारी सदस्य, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
7– श्रीमती संगीता यादव, गैर सरकारी सदस्य, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विचार विमर्श के उपरान्त सर्व सम्मति से निम्न निर्णय लिये गये : –

मद सं0	विषय	निर्णय
1–	प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनॉक 20–7–2006 के कार्यवृत्त की पुष्टि ।	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनॉक 20–7–2006 के कार्यवृत्त की पुष्टि सर्व सम्मति से की गई ।
2–	प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनॉक 20–7–2006 के कार्यवृत्त पर अनुपालन आख्या ।	बोर्ड बैठक दिनॉक 20–7–2006 की अनुपालन आख्या अवलोकित की गई ।
3–	गाजियाबाद महायोजना–2021 के अन्तर्गत गाजियाबाद क्षेत्र में नये विकास को सुनियोजित दिशा प्रदान करने हेतु जोनल स्तर के सरकुलेशन/रोड नेटवर्क के अनुमोदन के सम्बन्ध में ।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव स्वीकृत किया गया ।
4–	दिल्ली मेट्रो को आनन्द विहार से वैशाली योजना तक विस्तार किये जाने के सम्बन्ध में ।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव स्वीकृत किया गया ।

5–		गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित 04 स्थानों पर पुलों के निर्माण के सम्बन्ध में ।	बोर्ड द्वारा सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक 1676 / 23–1–2006 दिनॉक 04–8–2006 का संज्ञान लिया गया एवं निर्णय लिया गया कि गाजियाबाद नगर में प्रस्तावित चार पुलों– ए0एल0टी0 सैन्टर से मेरठ को जाने वाली सडक पर आर0ओ0बी0 का निर्माण, मेरठ रोड पर हुडई शोरूम के पास ग्रेड सेपरेटर का निर्माण, जी0टी0 रोड पर ठाकुरद्वारा मंदिर के पास हापुड रोड एवं जी0टी0 रोड पर ग्रेड सेपरेटर का निर्माण एवं शास्त्री नगर–कविनगर औद्योगिक क्षेत्र सीमा के बीच डाईमण्ड पैलेस के पास रेलवे लाईन के ऊंपर आर0ओ0बी0 का निर्माण बिना निविदा के उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम जो कि उत्तर प्रदेश सरकार का प्रतिष्ठान है, से कराए जाने हेतु अधिकृत किया गया एवं यह भी निर्देश दिए गए कि आपसी सहमति पत्र (MOU) इत्यादि की कार्यवाही प्रारम्भ की जाए ।
6–		गाजियाबाद शहर में ट्रान्सपोर्ट नगर की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण किये जाने के सम्बन्ध में ।	प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनॉक 13–01–2006 में गठित समिति की बैठक का निर्णय/ अभिमत जो कि दिनॉक 21–7–2006 को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में विभिन्न प्रकरणों पर हुई बैठक के कार्यवृत्त से बोर्ड अवगत हुआ । बोर्ड को यह भी अवगत कराया गया कि इस प्रकरण पर अलग से कोई कार्यवृत्त जारी नहीं किया गया है । समिति की बैठक के प्रस्तर–1 पर गाजियाबाद शहर में ट्रान्सपोर्ट नगर की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण किए जाने के सम्बन्ध में लिए गए निर्णय/अभिमत को कार्यवृत्त का भाग मानते हुए प्रस्ताव स्वीकृत किया गया ।
7–		कौशाम्बी योजना के भूखण्ड संख्या–16 पर 2.5 एफ0ए0आर0 अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में ।	प्रस्ताव स्थगित किया गया ।

8–		डा0आर0एस0जी0इन्डोंजर्मन मेडिकल सेन्टर के मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में ।	प्रस्ताव स्थगित किया गया ।
9–		गाजियाबाद महायोजना 2021 में विशेष अनुमति से अनुमन्य कियाओं / उपयोगों की अनुमति के अन्तर्गत सुन्दरदीप एजूकेशनल सोसायटी ग्राम डासना की भूमि पर निर्मित /प्रस्तावित इन्जीनियरिंग कालेज के सम्बन्ध में ।	प्रस्ताव स्थगित किया गया ।
10–		अन्सल हाऊसिंग एण्ड कन्स्ट्रक्शन लि0 द्वारा विकसित अवन्तिका आवासीय कालोनी में स्थित 45 मीटर चौडे महायोजना मार्ग की चौडाई को संशोधित करने के सम्बन्ध में ।	विस्तृत विचार विमर्श प्रस्ताव शासन को सन्दर्भित किए जाने का निर्णय लिया गया ।
11–		मै0 कालिन्दी ब्राईट स्टील्स एण्ड टयूब्स लि0 को कौशाम्बी में आवंटित भूमि के न्यायिक विवाद का कोर्ट के बाहर समझौते हेतु ।	मै0 कालिन्दी ब्राईट स्टील्स एण्ड टयूब्स लि0 द्वारा लम्बित सभी वाद वापिस लेने की शर्त पर 750 वर्ग मीटर के लिये निर्धारित कन्ट्रोल डिजाईन के आधार पर भू–आच्छादन तथा एफ0ए0आर0 अनुमन्य किये जाने की स्वीकृति बोर्ड द्वारा प्रदान की गई ।
12–		संजयनगर डिस्ट्रिक्ट सैन्टर स्थित होटल भूखण्ड का भू–उपयोग रेस्टोरेन्ट बैंकटहाल कम व्यवसायिक करते हुए इसकी नीलामी किये जाने के सम्बन्ध में ।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव स्वीकृत किया गया ।
13–		ग्रुप हाऊसिंग एवं व्यवसायिक भूखण्डों की नीलामी हेतु पूर्व निर्धारित 6 माह की अवधि को ब्याज सहित तीन वर्ष तक बढाये जाने के सम्बन्ध में ।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण की पूर्व बैठक दिनॉक 20–7–2006 के मद संख्या –26 में लिए गए निम्न निर्णयानुसार ही अन्य प्रकरणों में भी कार्यवाही किए जाने हेतु उपाध्यक्ष को अधिकृत किया गयाः– “पहले बिडदाताओं से अगली 25 प्रतिशत देयता की धनराशि 15 दिन के अन्दर जमा करा ली जाए एवं जिन बिडदाताओं द्वारा यह 25 प्रतिशत धनराशि जमा करा ली जाती है,

		उन बिडदाताओं से अवशेष 50 प्रतिशत धनराशि छः माह से कम अवधि हेतु की गई नीलामी में दो माह का समय ब्याज सहित अतिरिक्त दिए जाने एवं छः माह के उपरान्त आवश्यकतानुसार गुण–दोष के आधार पर ब्याज सहित समय बढाए जाने हेतु उपाध्यक्ष को अधिकृत किया गया" ।
14–	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में कार्यरत अभियन्ताओं का वाहन भत्ता बढाये जाने के सम्बन्ध में ।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव स्वीकृत किया गया ।
15–	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में कार्यरत वाहन चालकों का धुलाई भत्ता बढाये जाने के सम्बन्ध में ।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव स्वीकृत किया गया
16–	भवन संख्या 1/61बी कामना वैशाली ई0डब्लू0एस0 के दण्डात्मक ब्याज माफ किए जाने के सम्बन्ध में ।	प्रस्ताव स्थगित किया गया ।
17–	भवन संख्या 1/62बी कामना वैशाली ई0डब्लू0एस0 के दण्डात्मक ब्याज माफ किए जाने के सम्बन्ध में ।	प्रस्ताव स्थगित किया गया ।
18–	इन्दिरापुरम योजना में उपयोग की गई अनार्जित भूमि के बदले भूमि दिये जाने के सम्बन्ध में ।	प्रस्ताव स्थगित किया गया ।
19–	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की वी0आई0पी0 वाहन व्यवस्था के सम्बन्ध में ।	प्रस्ताव स्थगित किया गया ।
20–	श्री वी0पी0एस0 चौहान, प्रभारी निरीक्षक पुलिस, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को भूखण्ड आवंटन के सम्बन्ध में ।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव शासन को सन्दर्भित किए जाने का निर्णय लिया गया ।
21–	प्राधिकरण की अर्जित ग्राम मोरटा व रसूलपुर याकुतपुर की भूमि पर स्थापित शिवा कंक्रीट एवं अन्य ईकाईयों की भूमि के सम्बन्ध मे ।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव शासन को सन्दर्भित किए जाने का निर्णय लिया गया ।

	अध्यक्ष की अनुमति से	
22–	मोदीनगर एवं मुरादनगर विकास क्षेत्र में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की अवस्थापना निधि से विकास कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में ।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त बोर्ड द्वारा मोदीनगर एवं मुरादनगर विकास क्षेत्र में जनोपयोगी विकास कार्यो हेतु गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की अवस्थापना निधि से प्रस्तुत किए गए प्रस्तावानुसार विकास कार्य कराए जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई । परन्तु विकास कार्य आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ की स्वीकृतिपोरान्त कराएं जाएं ।
23–	220 के0वी0 सब स्टेशन के लिये छिजारसी हिन्डन पुल के समीप लगभग 10 एकड भूमि एवं निर्माण व्यय की अदायगी यू0पी0पी0सी0एल0 को किये जाने के सम्बन्ध में ।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव स्वीकृत किया गया ।

आर0डी0सी0 योजना के Re-Planning व Renovation का Power Point Presentation बोर्ड बैठक के समक्ष प्रस्तुत किया गया । विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त बोर्ड द्वारा परियोजना की स्वीकृति इस निर्देश के साथ प्रदान की गई कि परियोजना की लागत कम करते हुए लागत की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव अगली बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाए । Re-Planning के अनुसार बोर्ड द्वारा एक और शौपिंग मॉल बनाने की स्वीकृति भी प्रदान की गई । प्रस्तावित शौपिंग मॉल में एफ0ए0आर0, कवर्ड एरिया व पार्किंग की व्यवस्था पूर्व बोर्ड बैठक दिनॉक 20–7–2006 में लिए गए निर्णयानुसार अनुमन्य होगी । किन्तु नए प्रस्तावित शौपिंग मॉल के लिए आरक्षित मूल्य आर0डी0सी0 में नीलाम किए गए शौपिंग मॉल के लिए प्राप्त अधिकतम बोली को ही आरक्षित मूल्य निर्धारित करते हुए नीलामी के माध्यम से निस्तारण की कार्यवाही की जाए । बोर्ड द्वारा यह भी निर्देश दिए गए कि डब्ल पार्किंग के स्थान पर सिंगल पार्किग रखते हुए डिजाईन तैयार की जाए ।

बोर्ड द्वारा कोयल इन्क्लेव में चल रहे भू अर्जन प्रस्ताव की प्रगति पर भी चर्चा की गई । आपसी समझौते के आधार पर प्रतिकर तय करने हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष प्रकरण विगत कई माह से लम्बित है । अभी तक समिति द्वारा इस पर अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है । स्थानीय किसानों से रू0 574/– प्रति वर्ग गज की दर से प्रति कर भुगतान किए जाने की सहमति की समय सीमा माह मई, 2006 में समाप्त हो गई है । बोर्ड बैठक में अपर जिलाधिकारी– भू अर्जन द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व में रू0 131.60 प्रति वर्ग गज की दर से इसी अधिग्रहण प्रस्ताव में प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है । बोर्ड द्वारा विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त निर्देशित किया गया कि वर्ष 1991 में तत्कालीन राजस्व राज्य मंत्री जी की अध्यक्षता में आम सहमति के आधार पर निर्धारित किये गये रू0 131.60 प्रति वर्ग गज के आधार पर प्रतिकर भुगतान करते हुए जमीन का वास्तविक कब्जा प्रदान करने हेतु जिलाधिकारी को पत्र भेज कर अनुरोध किया जाये ताकि शीघ्रताशीघ्र जमीन पर कब्जा प्राप्त किया जा सके ।

अन्त में अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी को धन्यवाद देते हुए बैठक समाप्त की गयी ।

(आर० सी० मिश्र),
सचिव,
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

(डी०पी०सिंह),
उपाध्यक्ष,
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

अनुमोदित

(डी०पी०सिंह),
अध्यक्ष,
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण,
गाजियाबाद